29 अगस्त, 2017 की जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक में चर्चा हेतु कार्यसूचीः–

क्रसं	प्रश्न कर्ता का नाम	सम्बन्धित विभाग	प्रश्न/प्रस्ताव का विषय	वर्तमान स्थिति
01	02	03	04	05
			गत बैठक कार्यवाही की अभिपुष्टि	
01	श्रीमती प्रेमलता, मान्नीय सदस्या जिला परिषद् कुल्लू	अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग प्रथम/ अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वितीय	**प्रस्ताव संख्याः– 11/दिनांक 01.08.2011** **1.लगवैली, दलीघाट सड़क तथा भूमतीर सड़क का कार्य पूर्ण करने बारेः–** अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि लगवैली, दलीघाट सड़क का कार्य प्रगति पर है तथा 9/300 तक पूर्ण भी कर लिया गया है शेष कार्य प्रगति पर है। दड़का से भूमतीर सड़क का चरण–द्वितीय का कार्य प्रगति पर है। लगवैली, दलीघाट सड़क का कार्य 11/780 कि0मी0 तक पूर्ण हो चुका है। दड़का से भूमतीर सड़क का चरण–द्वितीय का कार्य प्रगति पर है।	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4709 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
02	श्री बलजीत डोगरा, मान्नीय उपाध्यक्ष जिला परिषद / श्री हितेश्वर सिंह, सदस्य जिला परिषद कुल्लू,	महाप्रबन्धक लारजी विद्युत विभाग शाड़ावाई / अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग मण्डल प्रथम, स्थित बन्जार/ अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग मण्डल द्वितीय/ जिला पर्यटन विकास अधिकारी कुल्लू	**प्रस्ताव संख्याः– 03/दिनांक 06.03.2013** **ख. टनल में बिजली की रोशनी की मात्रा बढ़ाने बारे तथा भून्तर पुल का निर्माण शीध्र करने बारेः–** उपाध्यक्ष जिला परिषद द्वारा भून्तर पुल के बारे में पूछा गया कि जिस पर अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि भून्तर पुल के कार्य M/S Gorsi Consturction Pvt. Lmt. गॉव टकोली डाकघर पनारसा उप तहसील औट को इस कार्यालय के पत्र संख्या 5064–73 दिनांक 19.8.2016 को आवार्ड कर दिया गया है। इस कार्य को ठेकेदारों द्वारा शीघ्र शुरू किया जाएगा। सदन में विस्तृत चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गय कि विभाग उपरोक्त स्थान का मौका करें तथा मान्नीय सदस्य को मौका स्थल पर बुलाया जाए तथा विभाग को रिपोर्ट सौंपे।	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4710–15 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

03	कार्यालय जिला परिषद	अरण्यपाल वन विभाग कुल्लू, वन मण्डल अधिकारी कुल्लू /वन मण्डल कुल्लू(वन्यप्राणी) वन मण्डल अधिकारी पार्वती /वन मण्डल अधिकारी पार्वती (वन्य प्राणी)/वन मण्डल अधिकारी सराज/ वन मण्डल अधिकारी लूहरी	**प्रस्ताव संख्याः– 25/दिनांक 06.03.2013** **<u>सम्पूर्ण स्वच्छता तथा पौधा रोपण एवं पर्यावरण अभियान का आयोजन करने बारेः–</u>** **वन मण्डल कुल्लू के** अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि वन्य प्राणी वन मंडल कुल्लू में सम्पूर्ण स्वच्छता एवं पर्यावरण का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। इसी सिलसिले में गत 5.6.2017 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। जहां तक पौधरोपण का प्रश्न है इस वर्ष 17 है0 पौधरोपण का लक्ष्य रखा गया है। पौधरोपण के वचाव के लिए उस क्षेत्र की कांटेदार तार द्वारा बाड़बंदी की जाती है। वन मण्डल आनी के अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि विभाग द्वारा सम्पूर्ण स्वच्छता पर्यावरण एवं पौधारोपण के अभियान का कार्यक्रम समय–समय पर करवाए जाते हैं। साझा वन कमेटियों को भी इसमें शामिल किया जाता है। वर्ष 2016–17 में आनी वन मण्डल में 238.77 है0 वन भूमि पर 247647 पौधे लगाये गये हैं जिसकी सुरक्षा के लिए चारों ओर काटेंदार तार से बाढ़बन्दी की गई है। वन विभाग में यह कार्य सतत रूप से किया जा रहा है। हाल में ही सरकार से आदेशानुसार भांग के पौधे उखाड़ने के लिए भी वन विभाग पंचायतों, महिला मण्डलों एवं युवक मण्डलों का सहयोग प्राप्त कर रहा है। जिसमें उपरोक्त सभी भरपूर सहयोग कर रहे हैं। 2017–18 में जहां –जहॉ पौधरोपण किया जा रहा है उसके बारे में सम्बन्धित पंचायतों को अवगत करवा दिया जायेगा। वर्ष 2016–17 में 234 हैक्टेयर भूमि में पौधारोपण किया गया है तथा इसके वचाव के लिए फैंसिग भी करवाई गई है। इस वर्ष इस वन मण्डल द्वारा 87 हैक्टेयर वन भूमि पर पौधरोपण का प्रावधान रखा गया है। इस वन मण्डल में वार्ड विकास कमेटियों का गठन किया गया है उन्हें समय–समय पर पौधरोपण व सम्पूर्ण स्वच्छता पर्यावरण अभियान में शामिल किया जाता है। वन मण्डल अधिकारी पार्वती द्वारा अवगत करवाया गया कि इस वन मण्डल के सभी वन परिक्षेत्र अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं की सम्पर्ण स्वच्छता तथा पौधारोपण एवं पर्यावरण अभियान का आयोजन के अन्तर्गत जिला परिषद के सदस्य को आमंत्रित करें।	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4716–21 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
04	श्री हितेश्वर सिंह, मान्नीय सदस्य जिला परिषद्	उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा व उच्च शिक्षा/ प्रधानाचार्य, सर्व शिक्षा अभियान जरड	**प्रस्ताव संख्याः– 05 /दिनांक 25.03.2014** **<u>स्कूल भवनों को डिसमैंटल करने की क्या प्रकिया तथा प्राथमिक पाठशालाओं और उच्च पाठशालाओं में डैस्क खरीदने की क्या प्रकिया के बारे में विस्तार से अवगत करवाया जाएः–</u>** निदेशक महोदय के नियमों के तहत जब तक बजट का प्रावधान न हो पाठशाला भवन को गिराया नहीं जा सकता है तो इस सम्बन्ध में	

			विभाग यह अवगत करवाए कि यदि इससे पूर्व पाठशाला भवन की ईमारत गिर जाए और इसमें पढ़ने वाले बच्चे इस दुर्घटना का शिकार हो जाएँ तो इसकी जबावदेही किस विभाग की बनती है अवगत करवाया जाए। इस संबंध में सदन ने उच्च शिक्षा व प्राथमिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि वे विस्तृत जानकारी जैसे कि एस0 एम0 सी0 से कब प्रस्ताव आया तथा इसे विभाग द्वारा माननीय उपायुक्त महोदय को कब प्रस्तुत किया गया तथा निदेशालय को इसे कब प्रेषित किया गया तथा भवन को कब डिस्मेंटल किया गया। इसकी विस्तृत जानकारी दें। माननीय सदस्य ने सदन को अवगत करवाया कि एलीमेंटरी विभाग से डेस्क खरीदने की प्रक्रिया की डिटेल अभी प्राप्त नही हुई है। अतः सदन में सर्वसम्मति से चर्चा उपरान्त निदेशक प्रारिम्भक एवं उच्च से प्रस्ताव के माध्यम से अनुरोध किया जाता है कि जब तक बजट का प्रावधान नहीं होता, भवन को गिराया नहीं जा सकता, इस नियम में छूट प्रदान करने की अनुकम्पा की जाए ताकि बजट प्राप्ति से पूर्व भवन को गिराया जा सके तथा किसी भी होने वाली दुर्घटना को बचाया जा सके।	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4722–25 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
05	**श्री हितेश्वर सिंह, माननीय सदस्य जिला परिषद्**	**उपायुक्त कुल्लू**	**प्रस्ताव संख्या 07/दिनांक 16.01.2015** **<u>अटल सदन बारे विस्तृत जानकारी देने बारेः–</u>** सदन में विस्तृत चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि गत बैठकों में लिए गए निर्णय अनुसार इस सम्बन्ध में बैठक रखी जाए। अतः सदन के माध्यम से उपायुक्त महादेय से अनुरोध है कि वे इस सम्बन्ध में शीघ्र बैठक हेतू दिनांक निर्धारित करवाने की कृपा करें।	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4623 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
06	**श्रीमती धनेश्वरी ठाकुर, माननीय सदस्या जिला परिषद**	**राजस्व अधिकारी कुल्लू**	**प्रस्ताव संख्याः–02/दिनांक 26 मार्च, 2015** **भूमि सम्बन्धि समस्या का समाधान करने बारेः–** **क. मनाली ग्राम पंचायत में मनुधाम के लिए जनता की निजि भूमि की सेक्शन 118 के तहत अनुमति प्राप्त करने हेतू दस्तावेज जिलाधीश महोदय को प्रेषित किए गए हैं। इस की अनुमति सरकार से प्राप्त हुई है या नहीं।**	जिला भाषा अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि निजि भूमि के रजिस्ट्रीकरण हेतु सैक्शन 18 के अन्तर्गत अन्नापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु पत्र के साथ
07	**समस्त पदाधिकारीगण**	**निदेशक एन0एच0ए0आई0 शिमला यूनिट, कामना व्यू भवन फेस–3 नया शिमला–171009 /भू अधिग्रहण**	**प्रस्ताव संख्याः–06/दिनांक 26 मार्च, 2015** **<u>राष्ट्रीय उच्च मार्ग नागचला (जिला मण्डी) से मनाली तक प्रस्तावति फोरलेन की जानकारी उपलब्ध करवाने बारेः–</u>** सदन में मान्नीय पूर्व सदस्य श्री दिनेश सेन द्वारा पूछा गया कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग नागचला (जिला मण्डी) से मनाली तक प्रस्तावित फोरलेन का सर्वे कहॉ–कहॉ से किस–किस स्वरूप में हो रहा है तथा इससे सम्बन्धित भूमि अधिग्रहण अधिसूचना की वर्तमान स्थिति क्या है ? इस सन्दर्भ में	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4704–4706 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

		अधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण परियोजना अधिकारी, पण्डोह जिला मण्डी/ प्रबन्धक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, मुहाल बगला डाकघर नागचल, तहसील सदर जिलामण्डी	विस्तृत जानकारी देने की कृपा करें ? सदन में भू अधिग्रहण अधिकारी मण्डी द्वारा अवगत करवाया गया कि इस सम्बन्ध में समस्त जानकारी हेतू निदेशक एन0एच0ए0आई0 शिमला यूनिट, कामना व्यू भवन फेस–3 नया शिमला–171009 से पत्राचार करें। अतः मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेशक महोदय से अनुरोध किया गया कि वे उपरोक्त सूचना को शीघ्र अति शीघ्र इस कार्यालय में प्रेषित करें। इसके अतिरिक्त भू अधिग्रहण अधिकारी, मण्डी को भी निर्देश दिए गए कि वे भी अपने स्तर पर उनके निदेशालय से रिर्पोट प्राप्त कर इस कार्य्रलय को शीघ्र प्रेषित करें ताकि सदन को सूचित किया जा सके। सदन में मान्नीय सदस्य द्वारा पूछा गया कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग नागचला (जिला मण्डी) से मनाली तक प्रस्तावित फोरलेन का सर्वे कहॉ–कहॉ से किस–किस स्वरूप में हो रहा है तथा इससे सम्बन्धित भूमि अधिग्रहण अधिसूचना की वर्तमान स्थिति क्या है ? इस सन्दर्भ में विस्तृत जानकारी देने की कृपा करें ? अधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं थे। अतः प्रस्ताव पर चर्चा न हो सकी।	
08	श्री हितेश्वर सिंह, मान्नीय सदस्य जिला परिषद	**पुलिस अधीक्षक कुल्लू/वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल बन्जार/ सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति**	**प्रस्ताव संख्याः–08/दिनांक 26 मार्च, 2015** **<u>सब्जी मण्डी भून्तर की दुकानों के सम्बन्ध में तथा बन्जार सब्जी मण्डी से सम्बन्धित समस्त ब्यौरा प्रस्तुत करें:–</u>** सदन में मान्नीय सदस्य द्वारा अवगत करवाया गया कि सब्जी मण्डी में पलेदार होते हैं वे किसान की क्रेटों को उठाते नहीं है तथा किसानों द्वारा उन्हें पहचानना भी मुश्किल होता है। यदि इन्हें कोई वर्दी/कोड/निशान दिया जाए ताकि इन्हें पहचाना जाए। अधिकारी द्वारा आश्वासन दिलाया गया कि शीघ्र ही इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जाएगी।	**<u>पुलिस अधिक्षक</u>** द्वारा अवगत करवाया गया है कि सब्जी मण्डी भून्तर में यातायात को सुचारू रूप से बनाये रखने के लिए पुलिस जवानों को तैनात कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त सब्जी मण्डी बन्जार में भी यातायात को सुचारू रूप से बनाये रखने के लिए 02 पुलिस जवानों की तैनाती कर दी गई है। **<u>सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति कुल्लू</u>** द्वारा मार्किट यार्ड भून्तर में कार्यरत फल व सब्जी कमीशन एजेट के स्थाई पते की सूचि मान्नीय सदस्य को उपलब्ध करवाई गई। इसके अतिरिक्त अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि मार्किक यार्ड भून्तर में Digital/Computerised weighing Scale की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति प्रबन्ध निदेशक हि0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड शिमला से प्राप्त पत्र संख्या एच0एम0बी0सी0 2–13/2014–2565 दिनांक 04.07.2017 के अन्तर्गत प्राप्त हो चुकी है, जिसका सप्लाई आर्डर पत्र सं0 ए0पी0एम0सी0–2–6/86–भाग–759 दिनांक 26.07.2017 द्वारा फर्म को दिया गया है। उपरोक्त फर्म द्वारा मार्किट यार्ड भून्तर में की स्थापना की जा चुकी है। यदि किसी किसान को कोई सन्देह हो तो अपने उत्पाद की तुलाई दोवारा से करवा सकता है। बन्जार दमोठी नामक स्थान पर वन विभाग की 12बीघा वन भूमि की नर्ससरी को दूसरी जगह स्थानान्तरण हेतू 40 लाख की स्वीकृति प्रबन्ध निदेशक हि0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड शिमला प्रबन्ध निदेशक हि0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड

				शिमला से पत्र संख्या एच0एम0बी0 4–124/90–3682 दिलरंक 09.08.2017 के द्वारा प्राप्त हो चुकी है। उपरोक्त राशि को पत्र संख्या ए0पी0एम0सी0–2–2–83–भाग–6–903 दिनांक 18.08.2017 चैक सं0 036160 दिनांक 17.08.2017 कुल राशि 40 लाख वन मण्डल अधिकारी, सराज वन मण्डल, बन्जार को भुगतान किया गया है तथा एफ0सी0ए0 की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है। सब्जी मण्डी में पल्लेदारों का पंजीकरण मण्डी प्रभारी द्वारा करवाया जा रहा है।
09	श्री हितेश्वर सिंह, मान्नीय सदस्य जिला परिषद	पुलिस अधीक्षक कुल्लू/अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रथम स्थित बन्जार/जिला पर्यटन अधिकारी, कुल्लू	**प्रस्ताव संख्याः–15/दिनांक 26 मार्च, 2015** **मनीकर्ण में पर्यटन समय के दौरान सड़क के ऊपर ओवर हॉग/हॉफ–टनल का कार्य न करने बारे तथा ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी की नियुक्ति करने बारे एवं कसोल से 100 मीटर पहले से लेकर मनीकर्ण जहॉ पर बरशैणी रोड़ मिलता है, में किसी भी प्रकार का वाहन खड़ी करने की अनुमति न देने बारेः–** मान्नीय सदस्य द्वारा पुलिस अधीक्षक से अनुरोध किया गया कि चलान सख्ती से काटा जाए क्योंकि मनीकर्ण गुरूद्वारे के पास गाड़ियॉ पार्क की जाती हैं। मान्नीय सदस्य द्वारा अवगत करवाया गया कि मनीकर्ण रोड़ नियमों के तहत बॉल्वो बसों के लिए इस रोड़ को बन्द किया गया है फिर भी मनीकर्ण रोड़ में वॉलवों बसें जा रही हैं। अतः सदन में पुलिस अधीक्षक महोदय से अनुरोध किया गया कि वॉल्वों बसों को बजौरा से आगे न आने दिया जाए ताकि ट्रैफिक व दुर्घटनाओं से स्थानीय जनता को बचाया जाए। इस संबंध में माननीय सदन ने निर्णय लिया कि पुलिस अधिकारियों के साथ माननीय सदस्य की अलग से बैठक की जाए।	पुलिस अधिक्षक द्वारा अवगत करवाया गया कि पर्यटक सीजन में मनीकर्ण से कसोल तक यातायात को सुचारू रूप से बनाये रखने के लिए मुख्या आरक्षी–01 एवं 09 आरक्षियों की तैनाती की गई है एवं वाहनों को सड़क के किनारे खड़े होने की अनुमति नहीं है यदि कोई भी गाड़ी सड़क के किनारे खड़ा करता है तो उसका नियमानुसार चालान किया जाता है।
10	श्री हितेश्वर सिंह, मान्नीय सदस्य जिला परिषद	जिला खनन अधिकारी कुल्लू/सीमा सड़क संगठन मनाली/वन मण्डल अधिकारी, कुल्लू	**प्रस्ताव संख्याः– 07/दिनांक 15 जुलाई, 2015** **स्ट्रोवैग कम्पनी द्वारा जो क्रैशर सोलंगनाला में चलाया जा रहा है, उसके लिए पत्थर कहॉ से आ रहें है, तथा सीमा सड़क संगठन के पास अभी कितनी माईंनिग लीजें है, सभी का विवरण दें :–** मान्नीय सदस्य द्वारा अवगत करवाया गया कि क्षेत्र में गरीब के साथ ही अत्याचार किया जाता है। उदाहरण के लिए अटल सदन के पास रेत पड़ी है उसका कोई चलान नहीं काटता है और पुलिस अधीक्षक कार्यालय भवन के निर्माण के दौरान जो रेत उपयोग की गई, वह कहॉ से लाई गई थी, तो भी उस दौरान शायद ही कोई चलान काटा गया होगा। इसके अतिरिक्त थाना कुल्लू का निर्माण हो रहा है, रेत कहां से लाई गई। वन विभाग द्वारा जब कार्यालय व कर्मचारियों के आवास के निर्माण/मुरमम्त की जाती है तो रेत कहॉ से लाई जाती है। सम्बन्धित अधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं थे।	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4694–96 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

11	श्री हितेश्वर सिंह, माननीय सदस्य जिला परिषद	अतिरिक्त मुख्य सचिव (उर्जा) शिमला–02 हि0प्र0 / उपायुक्त कुल्लू / महा प्रबन्धक, एनएचपीसी, स्टेज–2 पार्वती काम्पलैक्स, नगवाई, जिला मण्डी / महा प्रबन्धक, एनएचपीसी, स्टेज–3 पार्वती काम्पलैक्स, बिहाली पोस्ट लारजी, मण्डी / महाप्रबन्धक, झाकड़ी परियोजना रामपुर, जिला शिमला / एलायन दुहांगन प्रीणी मनाली / उप मण्डल अधिकारी ना0 मनाली / परियोजना अधिकारी हिम उर्जा	**प्रस्ताव संख्याः– 08 / दिनांक 15 जुलाई, 2015** **<u>परियोजना द्वारा किए जाने वाले कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत करने बारेः–</u>** क. एन0एच0पी0सी0 चरण द्वितीय तथा तृतीय चरण में 30 जून, 2015 तक कितने विस्थापित और प्रभावितों को स्थायी रोजगार प्रदान किया गया, उनका नाम व पूरा पता, परियोजना बनने से पहले इन लोगों के पास कितनी जमीन थी, कितनी जमीन परियोजना में लगी और कितनी जमीन बकाया बची भविष्य में कितने लोगों को स्थायी रोजगार देने की योजना है, हाल ही में परियोजना प्रबन्धन व सरकार के बीच जो बैठक हुई, उसमें किन–किन मुद्दों पर चर्चा की गई, उपरोक्त लिखित सभी चीजों का ब्यौरा दिया जाए । ख. गड़सा घाटी में जो तीन नाले, जिसमें हुरला नाला, मनीहार नाला, पांचा नाला है, पार्वती परियोजना के लिए परिवर्तित करने है, इन नालों में कितना क्युसिक पानी है, परिवर्तित होने के बाद इन नालों में कितना क्युसिक पानी शेष रहेगा। कल दिन यदि इस गड़सा घाटी में पीने के पानी की और सिंचाई के लिए पानी की कमी पड़ती है तो उसे कैसे पूरा किया जाएगा ? सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग सर्वे करें कि कितने गांव हैं और जमीन कितनी है इसे देखते हुए जो शेष पानी बचता है क्या उससे गडसा वैली के लोगों का गुजारा सिंचाई व पेयजल हेतू कितने वर्षों के लिए हो सकता है। यदि हुरला नाला जहां एन एच पी सी ट्रेंचवेयर के उपर से पानी को लाया जाता है तो इससे गडसा वैली के लोगों को लाभ होगा। विभाग इस संबंध में प्राकलन तैयार करे और एन एच पी सी से बजट की मांग करे। इस संबंध में माननीय सदन ने उपायुक्त महोदय से सदन के माध्यम से अनुरोध किया कि उपरोक्त समस्त विभागों के साथ माननीय सदस्य की एक बैठक आपकी अध्यक्षता में की जाए। **<u>ग) मढ़ी, कोठी, सोलंग नाला, अलेउ–2 के लिए एल0एल0डी0ए0सी0 से प्राप्त राशि का ब्यौरा देने बारेः–</u>** अतः सदन में निर्णय लिया गया कि उप मण्डल अधिकारी (ना0) मनाली इस सम्बन्ध में दस्तावेज सहित विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाएँ। विभाग द्वारा अवगत करवाया गया कि इनके 2 प्रकार का प्रावधान रखा गया है जिन भूमि मालिकों द्वारा जमीन परियोजना को दी गई है जिसमें कि नौकरी व आर्थिक सहायता तथा जिनको नौकरी नहीं दी गई उन्हें परियोजना द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। परियोजना के पास सरप्लस स्फाफ है। कुछ भर्तियॉ आउट सोर्स अर्थात ठेकेदार के माध्यम से रखी गई हैं। जोकि अस्थाई तौर पर की गई हैं। अन्त में सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि एन0एच0पी0सी0 चरण–2 व एन0एच0पी0सी0 चरण 3 ऑउट सोर्स पर रखे गए कर्मचारियों की सूचि सदन में प्रस्तुत करें।	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4687 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

12	श्री हितेश्वर सिंह, मान्नीय सदस्य जिला परिषद कुल्लू	नगर ग्राम्य एवं योजना कार्यालय कुल्लू	प्रस्ताव संख्याः– 18/ दिनांक 15 जुलाई, 2015 **वीज़न डॉकुमेंट मनाली को विभाग द्वारा प्रेषित करने बारेः–**	अधिकारी द्वारा मान्नीय सदस्य को 102 पेजों सहित वीज़न डॉकुमेट मनाली का सौंपा गया।
13	श्री सुरेन्द्र शौरी माननीय सदस्य जिला परिषद	लोक निर्माण विभाग –प्रथम स्थित बन्जार/ मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू	प्रस्ताव संख्या 01/ दिनांक 17.03.2016 **बन्जार के नए अस्पताल भवन निर्माण बारे –** मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि भवन को असुरक्षित घोषित करने बाद उसी स्थान पर अस्पताल बनाया जाएगा। शीघ्र ही कार्य आरम्भ हो रहा है।	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4685–86 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
14	श्री सुरेन्द्र शौरी माननीय सदस्य जिला परिषद	अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग–बन्जार	प्रस्ताव संख्या 02/ दिनांक 17.03.2016 **बन्जार – मशियार सड़क का कार्य, बन्जार – सजवाड़ सड़क का निर्माण कार्य तथा बंजार – बठाहड़ सड़क व बन्जार गाडागुशैणी सड़क के टायरिंग का कार्य पूर्ण करने बारेः–** अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि बन्जार–मशियार सड़क के कार्य के टेन्डर हो चुके है तथा कार्य चल रहा है। बन्जार से सजवाड़ का रोड़ बस के लिए 27.10.2016 में पास हो चुका है। बन्जार–बठाहड़ सड़क व बन्जार गाड़ागुशैणी के टेन्डर हो चुके है तथा कार्य प्रगतिशील है।	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4684 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
15	श्रीमति शशि कटोच मान्नीय सदस्य जिला परिषद	अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग आनी जिला कुल्लू/ प्रबंधक एस जे वी एन एल रामपुर जिला शिमला	प्रस्ताव सं0 03 /दिनांक 17.03.2016 **निर्माणाधीन पेयजल योजना ग्रा0 पं0 सरघा, कुशवा, तुनन, बाड़ी, पोशना, बाहवा, गडेज योजना का कार्य पूर्ण करने बारेः–** सदन में अतिरिक्त उपायुक्त महोदय द्वारा विभाग को निर्देश दिए गए कि अधिशाषी अभियन्ता उपरोक्त स्थान का मौका करें और मान्नीय सदस्य को भी शामिल किया जाए।	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4682–83 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
16	श्रीमति शशि कटोच मान्नीय सदस्य जिला परिषद	उपायुक्त महोदय कुल्लू/ प्रबंधक एस जे वी एन एल रामपुर जिला शिमला	प्रस्ताव संख्या–04 दिनांक 17.03.2016 **एस0जे0वी0एन0एल0 प्रोजेक्ट रामपुर द्वारा प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को मुआवजा देने बारे –** मान्नीय सदस्या विभाग से उतर से वह विभाग से सन्तुष्ट नहीं हई तथा रोष प्रकट करते हुए कहा गया कि उन्हें जबाव नहीं मिल पा रहा है। गत बैठक में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया है और इस बैठक में, वे उपस्थित नहीं है। परियोजना से कोई अधिकारी बैठक में	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4667 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

			उपस्थित नहीं थे, इसलिए प्रस्ताव पर चर्चा न हो सकी। अतः विस्तृत चर्चा उपरान्त प्रस्ताव के माध्यम से मान्नीय उपायुक्त महोदय से अनुरोध किया गया कि वे शीघ्र अति शीघ्र किसनों को फसलों का मुआवजा अदा करने की कृपा करें।	
17	श्रीमति सीता देवी मान्नीय सदस्य जिला परिषद	अधिशाषी अभियन्ता लो0 नि0 वि0 डिवीजन –1 कुल्लू स्थित बन्जार/ भू अधिग्रहण कुल्लू	**प्रस्ताव संख्या :–08/ दिनांक 17.03.2016** **<u>रामशिला से बिजली महादेव सड़क को चौड़ा करने बारेः–</u>** अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया है कि रामशिला से बिजली महादेव सड़क रामशिला से पुईद (0/0 से 7/000) किलोमीटर को चौड़ा करने के लिए 6.62 करोड़ रूपये का प्राक्कलन सरकार को भेजा जा रहा है। बजट उपलब्धता उपरान्त ही कार्य सम्भव है। रामशिला से किंजा (कि0मी0/0 से 5/600) तथा थरकु से माहीश कि0मी0 (कि0मी0 12/00 से 14/00) कि0मी0 में जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है तथा (कि0मी0 5/600 से 6/500) किंजा महाल (कि0मी0 6/500 से 6/900) तथा (कि0मी0 9/0 से 9/420) पूईइ मुहाल (कि0मी0 14/0 से 15/350) चन्सारी व हलैणी के राजस्व कागजात तैयार कर लिए गए हैं जिन्हें अधिग्रहण हेतु शीघ्र ही सरकार को भेजा जाएगा (कि0मी0 6/900 से 9/0) शराउगी, देहणीधार, ठगरशरण तथा बंदल महाल और (कि0मी0 9/420 से 12/0) सेउगी, तलियाटी, बंदल महाल के राजस्व कागजात भू–अधिग्रहणण अधिकारी द्वारा तैयार किए जा रहे है। सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण की स्वीकृति के उपरान्त ही मुआवजा देना सम्भव है। सेउगीढेक से धारठ (कि0मी0 15/350 से 20/0) तक सड़क का निर्माण वर्ष 1998 के बाद हुआ है, जिसकी भूमि अधिग्रहण की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4669–70 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
18	श्री टेक सिंह मान्नीय सदस्य जिला परिषद	माननीय मुख्यमन्त्री महोदय हि0 प्र0 सरकार शिमला/ निदेशक उच्च एवं प्राथमिक शिमला हि0 प्र0	**प्रस्ताव संख्या :–09 दिनांक 17.03.2016** **<u>जिला कुल्लू में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने बारेः–</u>** अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि जिला के सभी पाठशालाओं में रिक्त पदों को शिक्षा निदेशालय द्वारा भरा जाता है, इस कार्यालय द्वारा पी0जी0टी0 के कुछ पदों को एस0एम0सी0 पर भरने कि अनुमति प्रदान की गई है। तत्पश्चात् मान्नीय सदस्य के वार्ड में भी उनके द्वारा बताए गई पाठशालाओं में रिक्त पदों को भरा जाएगा।	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4671–4672 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
19	श्री टेक सिंह मान्नीय सदस्य जिला परिषद	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कुल्लू	**प्रस्ताव संख्याः 10 दिनांक 17.03.2016** **<u>सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जरी में 30 बिस्तरों की सुविधा प्रदान करने बारेः–</u>** अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि अधिशाषी अभियन्ता यांत्रिक, लोक निर्माण विभाग, को 30 बिस्तर बाले आंतरिक बार्ड का प्राक्कलन बनाने के लिए इस कार्यालय पत्र संख्या 12439–42 दिनांक 14.10.2016 द्वारा अनुरोध किया गया था। अधीक्षक अभियन्ता, 6 वृत, हि0प्र0 लोक निर्माण	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4673 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>विभाग कुल्लू ने उनके पत्र संख्या 8316–18 दिनांक 21.10.2016 द्वारा अवगत करवाया है कि उपरोक्त भवन के एल0जी0एफ0एस0 टेकनोलजी में निर्माण करवाने हेतु सरकार से स्वीकृति लेना आवश्यक है व तदोपरांत ही भवन का प्राक्कलन बनाया जा सकेगा। इस संदर्भ में आवश्यक स्वीकृति प्रदान करने हेतु निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को लिखा जा चुका है व स्वीकृति प्राप्त होते ही उपरोक्त भवन के प्राक्कलन बनाने हेतु सम्बन्धित कार्यकारी विभाग को दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगें।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>श्री हितेश्वर सिंह माननीय सदस्य जिला परिषद</td>
<td>अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग–2, जिला कुल्लू/एन0एच0 पण्डोह/ अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग–1/ अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग निरमण्ड</td>
<td>प्रस्ताव संख्या :–12/ दिनांक 17.03.2016
<u>टेलीफोन लाईन बिछाने के कारण हुई आम जनता की समस्या का समाधान करने बारे:–</u>
क) लोक निर्माण विभाग यह बताए कि सड़क के किनारे टेलीफोन लाईन बिछाने के लिए जो खुदाई होती है उसका रेट प्रति किलोमीटर की दर से क्या है। निर्धारित रेट में क्या – 2 कार्य शामिल होते हैं उसकी जानकारी दी जाए। पिछले तीन सालों में जिला कुल्लू में किस – 2 कम्पनी ने कौन – 2 सड़क की कितने – 2 कि0 मी0 खुदाई की है। इस खुदाई से कितनी राशि एकत्रित हुई है। क्या इस एकत्रित राशि को खोदी गई सड़क को ठीक करने के लिए खर्च किया जाता है या कहीं दूसरी जगह भी खर्च किया जाता है। यह भी बताया जाए कि लो0 नि0 वि0 ने खुदाई के बाद सड़क ठीक करने के लिए किस – 2 सड़क पर कितनी – 2 राशि खर्च की है। साथ में यह भी बताया जाए कि विभाग का सोलिंग , वियरिंग व टारिंग का प्रति कि0 मी0 की दर से क्या रेट है।
ख) लोक निर्माण विभाग के मण्डल खोलने के क्या मापदण्ड हैं। जिला कुल्लू में विभाग के कितने मण्डल और उप मण्डल हैं तथा इनके अंतर्गत कितनी कि0 मी0 सड़कें आती हैं। क्या बन्जार में मण्डल खोलने की कोई प्रकिया चल रही है। बन्जार में अधिशासी अभियन्ता बिठाने का क्या औचित्य है और इससे क्या लाभ हो रहा है।
अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि टेलिफोन लाईन बिछाने की खुदाई से निम्नलिखित धनराशि प्राप्त एवं खर्चे का ब्यौरा निम्नलिखित है:–
<table>
<tr><td>वर्ष</td><td>प्राप्त धनराशि</td><td>खर्च धनराशि</td></tr>
<tr><td>2013–14</td><td>रूपये 131 लाख</td><td>रूपये 127 लाख</td></tr>
<tr><td>2014–15</td><td>रूपये 2.95 लाख</td><td>रूपये 2.95 लाख</td></tr>
<tr><td>20015–16</td><td>रूपये 1129 लाख</td><td>रूपये 15.74 लाख</td></tr>
</table>
शेष धनराशि राष्ट्रीय उच्च मार्ग की मुरम्मत हेतू खर्च की जा रही है। जैसे कि पैच वर्क, नालियों, कैश बैरियर व रिटेनिंग वॉल इत्यादि की</td>
<td>इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4674–75 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।</td>
</tr>
</table>

			जा रही है। अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि सड़क के किनारे टेलीफोन लाईन बिछाने के लिए जो खुदाई होती है उसका रेट 1059/– रूपये पक्का व 751/– रूपये कच्चा प्रति मीटर की दर से है। निर्धारित रेट में सड़क की खुदाई करने के पश्चात खुदाई की भरपाई की जाती है। पिछले तीन सालों में जिला कुल्लू में इस मण्डल के अन्तर्गत तारे बिछाने का कार्य रिलायन्स कम्पनी, भारती एयरटेल व विन्धया टैली लिंकस लिमिटिड कम्पनी द्वारा किया जा रहा है। इन कम्पनियों द्वारा 32.55 कि0मी0 खुदाई की गई है तथा इस खुदाई के लिए इन कम्पनियों से विभाग के पास 87,17,100/– रूपये की धनराशि प्राप्त हुई है और इस राशि को खोदी गई सड़कों को ठीक करने के लिए ही खर्च किया जाता है। इस खुदाई से जितनी राशि एकत्रित हुई वह इन सड़कों की मुरम्मत करने के लिए खर्च की गई, का ब्यौरा संलग्न प्रपत्र पर दर्शाया गया है। विभाग द्वारा इस सड़क में मिट्टी उठाने व सड़क को समतल करने का कार्य पूर्ण कर दिया गया है। सोलिंग, टायरिंग व वियरिंग पर खर्च 1059/– रूपये प्रति मीटर की दर से होता है। माननीय सदस्य ने कहा कि इन सभी अधिकारियों से पृथक रूप से जबाव मांगे जाएं तथा इसे compile करके सदन में प्रस्तुत किया जाए।	
21	**श्रीमति प्रेमलता ठाकुर माननीय सदस्य जिला परिषद**	**अधिशाषी अभियन्ता लो0 नि0 विभाग डिवीजन–1 कुल्लू**	**प्रस्ताव सं0 17/ दिनांक 17.03.2016** **<u>ख) कुल्लू से पीज सड़क की टायरिंग का कार्य पूर्ण करने बारेः–</u>** मान्नीय सदस्या द्वारा कैशवैरियर लगाने के लिए विभाग का धन्यवाद किया गया तथा सदन में निर्णय लिया गया कि संयुक्त निरीक्षण विभाग के एस0डी0ओ0 के साथ किया जाए तथा विभाग के अधिकारी मान्नीय सदस्य को मौके पर बुलाए।	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4676 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
22	**श्री लोकेन्द्र कुमार माननीय सदस्य जिला परिषद**	**अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य आनी जिला कुल्लू**	**प्रस्ताव सं0 19 दिनांक 17.03.2016** **<u>क. आनी में पेयजल समस्या का समाधान करने बारेः–</u>** **<u>ख. रिश्ता मिश्ता व खनैर नाला परियोजनाओं को आरम्भ करने बारेः–</u>**	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4677 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
23	**श्री लोकेन्द्र कुमार माननीय सदस्य जिला परिषद**	**माननीय मुख्यमन्त्री महोदय/ सचिव, स्वास्थ्य विभाग शिमला–2/**	**प्रस्ताव सं0 20 दिनांक 17.03.2016** **<u>अल्ट्रासांउड मशीन व स्टाफ के रिक्त पदों को भरने बारे तथा चौकीदार की नियुक्ति करने बारेः–</u>** सदन द्वारा प्रस्ताव के माध्यम से मान्नीय मुख्यमन्त्री महोदय से अनुरोध किया है कि उपरोक्त अस्पताल में चौकीदार का होना अति	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4678–4679 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के

		मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू	आवश्यक है। अतः चौकीदार की भर्ती करवाने हेतू विभाग को आगामी निर्देश जारी करने की कृपा करें।	द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
24	श्री चन्द्र किरण ठाकुर सदस्य जिला परिषद	अधिशाषी अभियन्ता लो0 नि0 विभाग डिवीजन–2	**प्रस्ताव सं0 30/ दिनांक 17.03.2016** **<u>क.गैमन पुल से मनाली पुल तकः–</u>** **<u>ग. मैन रोड से विष्णु मन्दिर सजला करजाः–</u>**	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4666 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
25	श्रीमती सीता देवी, मान्नीय सदस्य जिला परिषद	जिला पर्यटन अधिकारी, कुल्लू / क्षेत्रिय प्रबन्धक हिमाचल पथ परिवहन निगम कुल्लू	**प्रस्ताव संख्याः–02/दिनांक 12 जुलाई, 2016** **<u>बिजली महादेव के लिए रोपवे की तथा बसों की जानकारी का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करने बारेः–</u>**	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4727–28 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
26	श्री सुरेन्द्र शौरी, मान्नीय सदस्य जिला परिषद कुल्लू	अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत विभाग कुल्लू	**प्रस्ताव संख्याः–05/दिनांक 12 जुलाई, 2016** **<u>बन्जार उपमण्डल में बिजली विभाग द्वारा लगाए गए ट्रासफारमर की जानकारी प्रस्तुत करने बारेः–</u>**	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4729 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
27	श्री हितेश्वर सिंह, मान्नीय सदस्य जिला परिषद कुल्लू	अधिशाषी अभियन्ता लो0 नि0 विभाग डिवीजन–प्रथम कुल्लू	**प्रस्ताव संख्याः–07/दिनांक 12 जुलाई, 2016** **<u>सपंगडी कण्डा रोड़ तलाडा पुल से जोडने के लिए विभाग ने क्या कदम उठाए हैंः–</u>** सदन में विस्तृत चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि पुल के सम्बन्ध में मान्नीय सदस्य को विस्तार से जानकारी उपलब्ध करवाएँ तथा सूचना इस कार्यालय को भी प्रेषित करें।	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4731 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
28	श्रीमती शशि कटोच, मान्नीय सदस्य जिला परिषद	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य विभाग आनी	**प्रस्ताव संख्याः–09/दिनांक 12 जुलाई, 2016** **<u>कुरपन कुहल के फेस–3 निरमण्ड से अवेरा के निर्माण कार्य को शीघ्र आरम्भ करने बारेः–</u>** इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया जाता है कि विभाग ने इस कुहल को प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना के तहत प्रस्तावित किया है अगर इसमें स्वीकृति मिलती है तो उसके अन्तर्गत यह कार्य पूरा कर दिया जाएगा। विभाग मौका करने हेतू मान्नीय सदस्य को दिनांक व समय दें ताकि समय मामले का निपटारा किया जा सके।	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4730 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

29	श्रीमती मंजरी नेगी, मान्नीय सदस्य जिला परिषद कुल्लू	अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग बन्जार/ अधिशाषी अभियन्ता लो0 नि0 विभाग डिवीजन 2 कुल्लू/ अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग यान्त्रिक मण्डल	**प्रस्ताव संख्या :–10/दिनांक 12 जुलाई, 2016** **लगघाटी से दड़का नामक स्थान से कडिंगचा तक की सड़क का पुनः निर्माण कार्य आरम्भ करने बारे तथा कडिंगचा से समालंग पुल को पुनः निर्माण करने बारेः–** अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि नागुझौड़ से पनकुटटी, जकलेहड़ तथा दोघरी गॉव तक 3/400 मीटर सड़क का निर्माण कार्य विभाग ने पी0एम0जी0एस0वाई0 के तहत पूर्ण कर दिया है। परन्तु इससे आगे का कार्य गिफड डीड न होने के कारण बन्द करना पड़ा। जब तक इससे आगे की जमीन विभाग के नाम नहीं की जाती तब तक इस सड़क कार्य पुनः नहीं किया जा सकता। कडिंगचा से समालंग को जोड़ने वाले पुल का कार्य अधिशाषी अभियन्ता यान्त्रिक मण्डल द्वारा किया जा रहा है।	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4661–63 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
30	श्रीमती मंजरी नेगी, मान्नीय सदस्य जिला परिषद कुल्लू	उप निदेशक, प्रारम्भिक एवं उच्च शिक्षा विभाग	**प्रस्ताव संख्या :–11/दिनांक 12 जुलाई, 2016** **देवगढ़ पंचायत में कराल मिडल स्कूल मे अध्यापक की कमी को पूर्ण करने बारे** अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि रा0मा0पा0 कराल में एक (श्री वेली राम टी0जी0टी0) अध्यापक है। यह स्कूल नया खुला है। कार्यालय में अध्यापकों की वेचवाईज नियुक्ति हेतू प्रक्रिया जारी है तत्पश्चात् उपरोक्त पाठशाला में रिक्त पदों को भरा जाएगा।	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4659–60 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
31	श्री टेक चन्द,मान्नीय सदस्य जिला परिषद	अधिशाषी अभियन्ता लो0 नि0 विभाग डिवीजन–प्रथम कुल्लू	**प्रस्ताव संख्या :–12/दिनांक 12 जुलाई, 2016** **बराधा से शॉगचन रोड़ की मुरम्मत करवाने बारेः–** अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि लोक निर्माण विभाग वराधा शांगचन सड़क के रखरखाव का कार्य विभाग द्वारा समय–समय पर किया जाता है। इस सड़क पर अत्याधिक अतिक्रमण के कारण सड़क की चौड़ाई बहुत कम हो गई है। इसलिए इसे स्तरोन्नत नहीं किया जा सका। सड़क की चौड़ाई कम होने के कारण पानी की निकासी में बाधा होती है जिससे कच्ची सड़क यातायात के लिए खराब हो जाती है।	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4657 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
32	श्री लोकेन्द्र कुमार मान्नीय सदस्य जिला परिषद	मान्नीय मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेशक सरकार/ पुलिस अधिक्षक कुल्लू	**प्रस्ताव संख्या :–14/दिनांक 12 जुलाई, 2016** **आनी विधान सभा क्षेत्र में 58 पंचायतों में दिन–प्रतिदिन अपराध की घटनाऐं सामने आ रही हैं। परन्तु इस सम्बन्ध में पुलिस विभाग द्वारा कोई भी कार्यवाही आज तक नहीं की गई। इस सम्बन्ध में विभाग अवगत करवाऐं कि इसका कारण क्या हैः–**	पुलिस अधिक्षक द्वारा अवगत करवाया गया कि जब भी कोई उपराधिक घटना घटित होने की सूचना स्थानीय पुलिस को प्राप्त होती है या किसी के द्वारा दी जाती है तो उस पर कानून के नियम अनुसार कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त इस कार्यालय में इस प्रकार की कोई भी शिकायत प्राप्त न हुई है कि स्थानीय पुलिस द्वारा अपराधिक घटनाओं में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मान्नीय

				सदस्य द्वारा घविन्द्र हत्याकाण्ड का उल्लेख किया गया है के सम्बन्ध में व्यक्त किया जाता है कि घविन्द्र के मामले में स्थानीय पुलिस द्वारा 174 भा0द0प्र0सं0 की कार्यवाही अमल में लाई गई है व अब यह मामला मान्नीय उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश शिमला में सी0डब्लयू0न0 634/2017, प्रेमा देवी वनाम स्टेट हि0प्र0 विचाराधीन है। इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4621 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
33	श्री लोकेन्द्र कुमार मान्नीय सदस्य जिला परिषद	प्रबन्धक उत्पादन मिल्क प्लांट दत्त नगर रामपुर जिला शिमला	**प्रस्ताव संख्या :–15/दिनांक 12 जुलाई, 2016** **दूध की लागत दर अधिक बढ़ाने बारेः–** जिला कुल्लू में दूध का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में होता है, परन्तु लोगों को दूध के दाम अच्छे नहीं मिल रहे हैं क्यों ? जो पैमाना विभाग द्वारा दिया गया है उस आधार पर दूध की किमत नहीं आंकी जाती क्योंकि वे ऐसे कर्मचारियों से परिचित हैं जो कि उपरोक्त सम्बन्धी कार्य कर रहें है उनके आधार पर उनका ब्यान विपरित पाया जाता है। अतः विभाग इस सम्बन्ध में उचित जानकारी दें।	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4606 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
34	श्री चन्द्र किरण, मान्नीय सदस्य जिला परिषद	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	**प्रस्ताव संख्या :–16/दिनांक 12 जुलाई, 2016** **भून्तर से नगर के बीच लैफट बैंक में रोड़ में किसी भी उपयुक्त स्थान पर पी0एच0सी0 खोलने बारेः–** विभाग इस सम्बन्ध में प्रपोजल तैयार कर सरकार को प्रेषित करें तथा प्रपोज़ल की प्रतिलिपि इस कार्यालय को प्रेषित करें।	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4655 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
35	समस्त पदाधिकारीगण	मान्नीय मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश सरकार	**प्रस्ताव संख्याः–31/ दिनांक 12 जुलाई, 2016** **14वां वितायोग की ग्रान्ट जिला परिषदों को आबंटित करने हेतू अधिगृहित करने बारेः–**	प्रस्ताव पर कार्यवाही की जा चुकी है। अतः प्रस्ताव को सदन की सर्वसम्मति से समाप्त किया गया।
36	श्री चन्द्र किरण, मान्नीय सदस्य जिला परिषद	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य विभाग कुल्लू	**प्रस्ताव संख्याः– 01/दिनांक 22 अक्तूबर, 2016** **ग्राम पंचायत प्रीणी के गॉव शुरू में पानी के टैंक के बारे में विस्तृत जानकारी देने बारेः–**	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4654 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

37	श्री चन्द्र किरण, मान्नीय सदस्य जिला परिषद	खण्ड विकास अधिकारी नगर/ अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वितीय कुल्लू	**प्रस्ताव संख्याः– 02/दिनांक 22 अक्तूबर, 2016** **हरिपुर से 15 मील सड़क तथा शामीनाला से शुरू सड़क में टायरिंग की सुविधा उपलब्ध करवाने बारेः–**	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4652–53 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
38	श्री टेक चन्द, मान्नीय सदस्य जिला परिषद कुल्लू	अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग प्रथम कुल्लू	**प्रस्ताव संख्याः– 04/दिनांक 22 अक्तूबर, 2016** **भून्तर से मनीकर्ण रोड़ में Danger Zone में रेलिंग लगवाने बारेः–** सदस्य जिला परिषद द्वारा पूछा गया कि जो भून्तर से मनीकर्ण रोड़ में रेलिंग लगाई गई है। क्या वह रेलिंग भून्तर से मनीकर्ण समस्त रोड़ में लगाई जानी थी अथवा कुछ एक दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र में लगानी थी। मनीकर्ण रोड़ में कई ऐसे Danger Zone है। जहॉ पर रेलिंग लगाना अति अनिवार्य है। उन स्थानों में रेलिंग न लगाने का कारण बताएँ। अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि भून्तर मनीकर्ण सड़क में 2231 मी0 रैलिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा अन्य चिन्हित स्थानों पर रेलिंग का कार्य बजट की उपलब्धता पर संम्भव है।	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4651 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
39	श्रीमती प्रेमलता ठाकुर, मान्नीय सदस्य जिला परिषद कुल्लू	अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग प्रथम व द्वितीय कुल्लू	**प्रस्ताव संख्याः– 05/दिनांक 22 अक्तूबर, 2016** **क)** सदस्य जिला परिषद द्वारा पूछा गया कि दोहरा नाला से लींघर, वन्सू रोड़ की डी0पी0आर0 क्या वन गई है और इस रोड़ का कार्य कब तक शुरू होगा, वन विभाग की मन्जूरी मिली या नहीं जानकारी दें। **ख)** कुल्लू से खलाड़ा सरली के रोड़ का कार्य किस बजह से कई सालों से बहुत धीमी गति से चल रहा है। कार्य में कब तक तेजी लाई जाएगी और कब तक रोड़ का कार्य पूरा होगा। मान्नीय सदस्य की सहमति से प्रस्ताव ख को समाप्त किया गया।	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4649–50 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
40	श्रीमती प्रेमलता ठाकुर, मान्नीय सदस्य जिला परिषद कुल्लू	क्षेत्रिय प्रबन्धक, हिमाचल पथ परिवहन निगम कुल्लू	**प्रस्ताव संख्याः– 06/दिनांक 22 अक्तूबर, 2016** **दोहरानाला से खड़ीहार, नागूझोड़ से थाच और कोलीबेहड़ से पनोगी तक रोड़ बस योग्य पास करवाने बारेः–**	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4647–48 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

41	श्रीमती मंजरी नेगी, माननीय सदस्या जिला परिषद कुल्लू	उप निदेशक, प्राथमिक शिक्षा विभाग कुल्लू	**प्रस्ताव संख्याः– 09/दिनांक 22 अक्तूबर, 2016** **क. डुखेंरीगाहर के राजकीय प्राथमिक पाठशाला चलाह को असुरक्षित घोषित करने बारेः–** अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि राजकीय उच्च पाठशाला डुघीलग के भवन को गिरा दिया गया है तथा उस स्थान पर नये भवन निर्माण हेतू लोक निर्माण विभाग को प्राक्कलन बनाने हेतू आग्रह किया गया है। जिसकी सूचना शिक्षा निदेशालय हिमाचल प्रदेश को प्रेषित कर दी गई है। **ख. रायसन उच्च माध्यमिक पाठशाला में शौचालय की सुविधा प्रदान करने बारेः–**	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4646 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
42	श्रीमती मंजरी नेगी, माननीय सदस्य जिला परिषद	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य विभाग कुल्लू	**प्रस्ताव संख्याः– 10/दिनांक 22 अक्तूबर, 2016** **पिछलीहार सबर्धन एवं सुधार जल परियोजना बारेः–** सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अधिकारी एस0डी0ओ0 सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए कि वे संयुक्त निरीक्षण की दिनांक निर्धारित करें तथा माननीय सदस्या को मौके के स्थान पर बुलाया जाए।	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4734 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
43	श्रीमती ममता ठाकुर, माननीय सदस्या जिला परिषद कुल्लू	अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग निरमण्ड	**प्रस्ताव संख्याः– 13/दिनांक 22 अक्तूबर, 2016** **गुमरा–चुवाई–दलाश सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण करने बारेः–** अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि गुमरा–चुवाई–दलाश का कार्य विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। माननीय सदस्य द्वारा अधिकारी को अवगत करवाया गया कि सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना अति आवश्यक है। अतः माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विभाग को निर्देश दिए गए कि कार्य को शीघ्र पूर्ण करें।	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4733 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
44	श्रीमती ममता ठाकुर, माननीय सदस्या जिला परिषद	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य विभाग आनी	**प्रस्ताव संख्याः– 14/दिनांक 22 अक्तूबर, 2016** **जॉओं नाला –फानाली –डिंगीधार पेयजल योजना का निर्माण कार्य पूर्ण करने बारेः–** अधिकारी द्वारा अवगत करवाया जाता है कि फ़ानाली डिंगीधार पेयजल योजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। मुख्य पाईप द्वारा पानी बरगैईधार तक पहुंच चुका है। प्रथम चरण में पम्प हाउस का कार्य हो चुका है तथा पम्पिंग मशीनरी लग चुकी है। द्वितीय चरण में पम्प हाउस का कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त तीन भण्डारन टैंकों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। वितरण पाईप लाईन का कार्य लगभग 91 प्रतिशत पूर्ण कर लिया है।	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4732 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
45	समस्त पदाधिकारिगण जिला परिषद	सचिव जिला परिषद	**प्रस्ताव संख्याः– 04/दिनांक 16 मार्च, 2017** **जिला परिषद हॉल में बिछाए गए मैट की नीलामी करने बारेः–**	जिला परिषद की दिनांक 16 मार्च, 2017 की बैठक में लिए गए निर्णयानुसार जिला परिषद हॉल में बिछाया गया मैट (18'55') जोकि पुराना हो चुका है तथा कार्यालय में कहीं भी इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, जिसकी नीलामी की जानी उचित है। अतः सदन में निर्णय लिया गया कि मैट को नीलाम किया जाए।

46	श्री हितेश्वर सिंह, मान्नीय सदस्य जिला परिषद	अरण्यपाल वन विभाग कुल्लू/जिला राजस्व अधिकारी, कुल्लू	प्रस्ताव संख्याः10/ दिनांक 16 मार्च, 2017 **<u>भूमिहीन परिवारों को भूमि देने के मापदण्ड के बारे में तथा प्रकिया कब तक बैद्य है तथा सरकार द्वारा कब्जों को नियमित करने के सम्बन्ध में बनाई गई निति बारे अवगत करवाएँः–</u>** जिला राजस्व अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि भूमिहीन परिवारों को भूमि देने का मापदण्ड के सन्दर्भ में राजस्व विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला के पत्र कमांक Rev.B.F.(1)1/2006-1 दिनांक 22.01. 2014 में विस्तृत विवरण है जिसकी मान्नीय सदस्य को उपलब्ध करवाई गई है तथा इस प्रकिया के बारे में सरकार द्वारा कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त एफ0आर0ए0 तीन पीढ़ियों (75 साल)से परिवार वन भूमि में रह रहे हैं तो ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित होगा और उन्हें व्यक्तिगत अधिकार डी0एल0सी0 में जाकर प्राप्त होगें। इसके प्रत्युतर में माननीय सदस्य ने कहा कि आप अपने पटवारियों को निर्देश जारी करें कि लोगों को ठीक रूप से गाईड करें क्योंकि अभी तक सरकार प्रावेशन गवर्नमेंट लेंड लोगों के नाम कर सकती है और जिला कुल्लू में अधिकतर वन भूमि है और गरीब लोग अपनी मेहनत वन भूमि के कागजात तैयार करने में लगा है। इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य ने सदन में कहा कि एफ आर ए कमेटियां जो बनी हैं उन्हें प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाए। ताकि उन्हें उचित जानकारी मिल सके तथा जो लोग वन भूमि में अपना गुजारा कर रहे हैं उन्हें भी अवगत करवाया जाए कि वे इस भूमि को पटटे पर अपने नाम ले सकते हैं। इस संबंध में अधिकारी ने अवगत करवाया कि इस तरह के कोई भी मामले प्राप्त नहीं हुए हैं। इस संबंध में माननीय सदस्य ने कहा कि मेरी जानकारी के अनुसार उपमण्डलाधिकारी बन्जार के कार्यालय में ऐसे कई मामले लम्बित पड़े हैं इन्हें शीघ्र ही जिला स्तर पर प्रेषित किया जाए। एक तरफ कब्जे हटाए जा रहे हैं दूसरी और एफ0आर0ए0 एक्ट है। अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाए कि सर्वप्रथम कौन सी नीति लागू की जानी है।	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4628 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
47	श्री हितेश्वर सिंह, मान्नीय सदस्य जिला परिषद	क्षेत्रिय प्रबन्धक, हिमाचल पथ परिवहन निगम, कुल्लू/ क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी, हिमाचल पथ परिवहन निगम कुल्लू	प्रस्ताव संख्याः–11/ दिनांक 16 मार्च, 2017 **क. एच0आर0टी0सी0 विभाग के पास कितनी बसें और रूट परमिट कितने है, क्या कुछ बसें ऐसी भी हैं जो चलाने की स्थिति में नहीं है। विभाग के पास कितने चालक तथा परिचालक है। इसकी जानकारी भी दी जाए तथा बसों की संख्या के अनुसार उनके रूटों की जानकारी भी दी जाए तथा साथ में बसों के रूट की जानकारी भी दी जाए और नए रूटों में बस चलाने की क्या प्रतिकिया है।** वर्तमान में हिमपनि कुल्लू में कुल 200 बसें है तथा 158 रूट परमिट हैं व कुल 12 बसें ऐसी हैं जो चलाने की स्थिति में नहीं है तथा नीलामी हेतु क्षेत्रिय कर्मशाला में खड़ी की गई हैं। हिमपनि कुल्लू क्षेत्र के पास	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4624–25 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

			कुल 208 चालक तथा 145 परिचालक हैं। बसों की संख्या के अनुसार रूटों का विवरण संलग्न है। नये रूट पर बस चलाने के लिए पहले मार्ग का संयुक्त मार्ग निरिक्षण कमेटी के द्वारा पास किया जाना आवश्यक होता हैं उसके उपरान्त स्थानिय जनता की मांग के अनुरूप मुख्य कार्यालीय से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त रूट परमिट के लिए आवेदन करने के उपरान्त नये मार्ग पर बस सेवा आरम्भ की जाती है। **ख. कौशल विकास भत्ता क्या है, आज तक विभाग को कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए तथा इसके अन्तर्गत कितने अभ्यर्थी लाभाविंत हुए। क्या ट्रेंनिंग के बाद विभाग इन्हें अपने पास स्थाई या कमीशन के आधार पर रख रहा है। विभाग इस विषय पर विस्तारपूर्वक जानकारी दें।** कौशल विकास भत्ता Passenger Service Delivery Skill Development Programme हैं इसके अन्तर्गत जिन अभ्यर्थीयों के द्वारा परिचालक के लाईसैन्स बनाए गये हैं को हिमपनि परिचालक का प्रशिक्षण प्रदान करता हैं जिसमें उन्हें 7 दिन कार्यालय में प्रशिक्षण दिन की प्रैक्टिकल प्रशिक्षण का 75 दिन तक इन्टरीनशिप दी जाती हैं जिसके लिए प्रशिक्षु को मुवलिक 1000.00 रूपये प्रति माह Skill Development Allowance तथा मुवलिक 15.00 रूपये प्रति घन्टा की दर से या 120.00 रूपये प्रति दिन 8 घन्टे कार्य के व 8 घन्टे से अधिक कार्य करने पर 15.00 रूपये प्रति घन्टा की दर से अदायगी की जाती हैं। हिपपनि कुल्लू में कुल 601 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 322 आवेदकों को समय–समय पर प्रशिक्षण दिया गया जिनमें से 60 प्रशिक्षु निगम की धनराशी हड़पने के दोषी पाये जाने पर प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया। ट्रैनिंग के बाद विभाग इन्हें अपने पास स्थाई या कमीश्न के आधार पर नहीं रख रहा हैं। इस संबंध में माननीय सदस्य ने पूछा कि क्या आप एक व्यक्ति को एक ही समय में 75 दिनों का प्रशिक्षण प्रदान करते हैं या बार – 2 भी एक ही व्यक्ति को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस संबंध में अधिकारी ने कहा कि एक व्यक्ति को एक ही समय में प्रशिक्षण प्रदान किया जता है। इस संबंध में माननीय सदस्य ने कहा कि इस संबंध में मुझे विस्तृत रूप से इसकी सूची प्रदान करें।	
48	**श्रीमती प्रेमलता ठाकुर, मान्नीय सदस्य जिला परिषद कुल्लू**	**अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग–2**	**प्रस्ताव संख्याः12/ दिनांक 16 मार्च, 2017** **क) लगवैली सड़क में छुटटीधार के पास के ब्लैक स्पॉट की मुरम्मत करवाने बारेः–** अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि कुल्लू शिलवधानी सड़क में छुटटीधार के पास जो ब्लैक स्पॉट है उस स्पॉट के लिए आवश्यक प्राक्कलन तैयार करके उच्च कार्यालय को स्वीकृति के लिए भेज दिया है। स्वीकृति के उपरान्त ही इस कार्य की निविदाऍ बुलाई जाएगी तथा कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4741 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

			ख) पनकुटटी से समाणा गॉव के रोड़ का कार्य आरम्भ करने बारेः– अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि पनकुटि से समाणा गॉव के सड़क के सम्बन्ध में लगभग 3.200 कि0मी0 का कार्य पूर्ण किया गया है तथा शेष कार्य के लिए लोगों से भूमि की गिफट डिड आना अपेक्षित है।	
49	**श्री बलजीत डोगरा, मान्नीय उपाध्यक्ष जिला परिषद कुल्लू**	**अधिशाषी अभियन्ता,विद्युत विभाग कुल्लू/ नगर एवं ग्राम योजनाकार मण्डलीय नगर योजना कार्यालय कुल्लू**	**प्रस्ताव संख्याः–13/ दिनांक 16 मार्च, 2017** **नगर एवं ग्राम योजनाकार मण्डलीय नगर योजना के मापदण्डों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने बारे तथा क्या जिला कुल्लू में समस्त मकानों के सम्बन्ध में यह मापदण्ड लागू किए जा रहे हैं या नहीं अवगत करवाएँः–**	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4634–35 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
50	**श्रीमती धनेश्वरी ठाकुर, मान्नीय सदस्या जिला परिषद**	**उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा कुल्लू**	**प्रस्ताव संख्याः–14/ दिनांक 16 मार्च, 2017** **क) मिडल पाठशाला मेहा, कराल, कुकड़ी और लींगन में अध्ययापकों के कितने पद सृजित हैं। वर्तमान में इन विद्यालयों में क्या स्थिति है। विस्तृत जानकारी से सदन को अवगत करवाया जाए।** अधिकारी द्वारा आश्वासन दिलाया गया कि नए पदों को भरने के दौरान शीघ्र ही उपरोक्त पदों को भर दिया जाएगा। **ख) बाहंग स्थित प्राथमिक पाठशाला में नए भवन में कक्षाएँ बैठ रहीं हैं या नहीं। कारण बताएँ ? पाठशाला खेल मैदान की भी स्थिति के बारे में भी अवगत करवाया जाए।** मान्नीय सदस्या अधिकारी के जवाब से सन्तुष्ट नहीं हुई। है। सदन में निर्णय लिया गया कि अधिकारी बाहंग पाठशाला का मौका करें तथा अधिकारी मान्नीय सदस्य को भी मौके पर बुलाए। भवन की हालत क्या है किराया पर किसको दिया है। विस्तृत जानकारी देने की कृपा करें।	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4740 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
51	**श्रीमती पप्पी विष्ठ, मान्नीय सदस्या जिला परिषद**	**अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग निरमण्ड**	**प्रस्ताव संख्याः–16/दिनांक 16 मार्च, 2017** **बशाड़ से शरशाह रोड़ कब तक पक्का किया जाएगा। इस सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक जानकारी उपलब्ध करवाएँः–** अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि इस कार्य हेतू टेन्डर किए गए थे और वे रद्द हो गए तथा फिर से टेन्डर किए गए हैं। तत्पश्चात् कार्य शीघ्र ही पूरा किया जाएगा ।	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4629 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

52	श्रीमती रोहिणी चौधरी, मान्नीय अध्यक्ष जिला परिषद	अधिशाषी अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च मार्ग, लोक निर्माण विभाग पण्डोह जिला मण्डी/ परियोजना प्रबन्धक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, मुहाल बगला डाकघर नागचल, तहसील सदर जिला मण्डी	**प्रस्ताव संख्या :–18/ दिनांक 16 मार्च, 2017** **एन0एच0पी0सी0 परियोजना द्वारा स्थानीय जनता में विस्थापितों बेरोजगारों में से कितने प्रतिशत रोजगार का प्रावधान है। प्रभावित क्षेत्र के लोगों को विभाग द्वारा बनाई गई योजनाओं में रोजगार का क्या प्रावधान है। विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का विवरण प्रस्तुत करें।** महाप्रबन्धक एन0एच0पी0सी0 स्टेज 3 ने अवगत करवाया है कि परियोजना प्रभावित विस्थापितों को रोजगार प्रदान किए जाने सम्बन्धि तथा उनकी भूमि से सम्बन्धित विवरण, मान्नीय अध्यक्ष महोदय को प्रेषित किए गए हैं। उनके मुख्य कार्यालय ने बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि एनएचपीसी में रिक्तियॉं न होने तथा पहले से ही अतिरिक्त स्टाफ होने के कारण जो प्रतिलिपि मान्नीय अध्यक्ष महोदय को प्रेषित की गई है में 13 लोगों के अलावा अन्य को रोजगार नहीं दिया जा सकता है जिसके एवज में उन्हें one Time cash compensation for loss of livelihood दिया जाना है।	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4632–33 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
53	श्री लोकेन्द्र, मान्नीय सदस्य जिला परिषद	लोक निर्माण विभाग निरमण्ड	**प्रस्ताव संख्याः–19/दिनांक 16 मार्च, 2017** **तेंशन–रंगशाल कैंची और शमशर से पणैई सड़क का कार्य आरम्भ करने बारेः–** मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विभाग को निर्देश दिए गए कि वे उपरोक्त के सम्बन्ध में लिखित विवरण प्रस्तुत करें।	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4631 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
54	श्री लोकेन्द्र, मान्नीय सदस्य जिला परिषद	वन मण्डल अधिकारी, आनी	**प्रस्ताव संख्याः–20/दिनांक 16 मार्च, 2017** **अवैध कब्जों को हटाने के सम्बन्ध में तथा लूहरी वृत के अन्दर किन–किन लोगों के पेड़ काटे गए हैंः–**	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4630 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
55	श्रीमती ममता ठाकुर, मान्नीय सदस्या जि0प0	जिला कल्याण अधिकारी, कुल्लू	**प्रस्ताव संख्याः–21/दिनांक 16 मार्च, 2017** **समाजिक सुरक्षा पैंशन समय पर भिजवाने बारेः–**	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
56	श्रीमती ममता ठाकुर, सदस्या जिला परिषद कुल्लू	लोक निर्माण विभाग निरमण्ड	**प्रस्ताव संख्याः–22/दिनांक 16 मार्च, 2017** **अमरबाग–नित्थर वाया कुठेड़ सक तथा गरशाई से बनकोटी वाया कुठेड़ सड़क की मुरमम्त करवाने बारेः–** अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि अमरबाग से नित्थर वाया कुठेड़ सड़क की मुरम्मत के लिए कार्य जल्दी ही आरम्भ कर दिया	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4631 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

			जाएगा तथा 3/0 से 5/0, 10/0 से 12/0 और 15/0 से 16/0 कि0मी0 की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस कार्य के जल्दी ही टैण्डर लगा दिए जाएगें। गरशाई से बनकोटी वाया कुठेड़ सड़क को जल्द पक्का करवाए जाए। अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि गरशाई से बनकोटी वाया कुठेड़ इस सड़क में बजट का प्रावधान नहीं है जैसे ही बजट का प्रावधान होगा कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।	
57	**श्री टेक चन्द, मान्नीय सदस्य जिला परिषद**	**अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग प्रथम**	**प्रस्ताव संख्याः–23/दिनांक 16 मार्च, 2017** **लपास रोड़ (मनीकर्ण) का कार्य शीघ्र आरम्भ करने बारेः–** लपास रोड़, (मनीकर्ण) का कार्य आरम्भ क्यों नही किया जा रहा है ? इस सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक अवगत करवाएँ ? अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रोपोज़ल नॉडल आफिसर शिमला के पास पहुँच चुकी है जैसे ही आगामी आदेश प्राप्त होगें कार्यवाही कर दी जाएगी।	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4747 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
58	**श्री टेक चन्द, मान्नीय सदस्य जिला परिषद**	**श्री टेक चन्द, मान्नीय सदस्य जिला परिषद/ उपायुक्त महोदय कुल्लू**	**प्रस्ताव संख्याः–24/दिनांक 16 मार्च, 2017** **टारवाई –धारला रोड़ में रैंलिंग का निर्माण करवाने बारेः–** अतिरिक्त उपायुक्त द्वारा मान्नीय सदस्य को पंचायत का प्रस्ताव व प्राक्कलन प्रेषित करने हेतू सुझाव दिए गए।	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4645 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
59	**श्रीमती पप्पी विष्ठ, मान्नीय सदस्या जिला परिषद**	**अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य विभाग आनी**	**प्रस्ताव संख्याः–25/दिनांक 16 मार्च, 2017** **पाईप लाईन बदलने बारेः–** अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि डी0पी0आर0 नवार्ड से 9.11 लाख की करवाई गई है। कार्य गतिशील है तथा इसमें पाईप लाईन का भी प्रावधान रखा गया है। अतः यह कार्य शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाएगा।	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4748 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
60	**समस्त पदाधिकारिगणः–**	**वन मण्डल अधिकारी कुल्लू/ परियोजना अधिकारी, जि0ग्रा0वि0अभि0**	**प्रस्ताव संख्याः– 27/दिनांक 16 मार्च, 2017** **वन विभाग की गतिविधियों की जानकारी देने बारेः–**	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4744– 45 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
61	**समस्त पदाधिकारिगणः–**	**समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जिला कुल्लू**	**प्रस्ताव संख्याः– 28/दिनांक 16 मार्च, 2017** **14वां वितायोग से स्वीकृत योजनाओं का विवरण प्रस्तुत करने बारेः–**	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4743 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

62	समस्त पदाधिकारिगण:–	निदेशक पंचायती राज विभाग शिमला–9	प्रस्ताव संख्याः– 29/दिनांक 16 मार्च, 2017 **6 रूपये पर कि0मी0 की दर से टी0ए0 स्वीकृत करने बारेः–**	प्रस्ताव को सर्वसम्मति से समाप्त किया जाता है।
63	समस्त पदाधिकारिगण:–	निदेशक पंचायती राज विभाग	प्रस्ताव संख्याः– 30/दिनांक 16 मार्च, 2017 **जिला परिषद भवनों में बैठक के दौरान कमरों का किराया न लेने बारे :–** सदन में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि मान्नीय समस्त पदाधिकारिगणों से बैठक के दौरान कमरों में ठहरने का किराया न लिया जाए। अतः प्रस्ताव के माध्यम से निदेशक महोदय से अनुरोध है कि वे समस्त पदाधिकारिगण को बैठक के दौरान किराया न लेने हेतू आगामी दिशा निर्देश जारी करने की कृपा करें।	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4637 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
64	श्री हितेश्वर सिंह, मान्नीय सदस्य जिला परिषदः–	वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल कुल्लू	प्रस्ताव संख्याः– 31/दिनांक 16 मार्च, 2017 **ड्राई स्पैल के दौरान टी0डी0 न देने बारेः–** अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि फौरेस्ट कारपोरेशन को ड्राई स्पैल में जंगल काटने का अधिकार न देने के सम्बन्ध में जैसे ही इस कार्यालय में सुझाव प्राप्त होगें वैसे ही समस्त वन परिक्षेत्राधिकारियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाएगा।	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 5013 दिनांक 23 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
65	श्रीमती सीता राखा/ श्रीमती पप्पी विष्ठ/ श्रीमती प्रेमलता ठाकुर, मान्नीय सदस्या जिला परिषद	उप निदेशक, उद्यान विभाग कुल्लू/उप निदेशक, कृषि विभाग कुल्लू	प्रस्ताव संख्याः– 02/ दिनांक 15 जून, 2017 **जिला कुल्लू में प्रधानमनी फसल बीमा की योजना की स्थिति तथा भारी ओलावृष्टि से हुए नुकसान की, कि गई भरपाई के बारे में अवगत करवाएॅः–**	क.) अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि उद्यान विभाग के पास जो सूचना Agriculture Insurance company से प्राप्त हुई है उसके अन्तर्गत 22178 संख्या बागवानों (ऋणि व गैर ऋणि बागवान) से फसल बीमा योजना के अन्तर्गत अपनी फसलों का बीमा करवाया है जिसका किसान भाग 5.86 करोड़ बनता है। इसके अतिरिक्त बागवानों की फसलों को जो नुकसान हुआ है उसका आंकलन उपरोक्त कम्पनी द्वारा किया जा रहा है व उनके अनुसार बागवानों का प्रभावित फल फसल का मुआवजा जल्द प्रदान किया जाएगा। ख.) भारी वर्षा एवं ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को जो नुकसान हुआ है उसका आंकलन करके विभाग द्वारा समय–समय पर उपायुक्त कुल्लू एवं निदेशक उद्यान विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला को भेज दिया गया है। इसके अतिरिक्त ये भी व्यक्त किया जाता है कि जब भी प्रभावित बागवानों को राहत पहुॅचाने हेतू NDRF व CRF योजना के तहत धनराशी प्राप्त होती है तो उससे बागवानों को दवाईयां, फल पौधे तथा बागवानी उपकरण उपदान पर प्रदान किए जाते हैं।

66	श्री हितेश्वर सिंह, माननीय सदस्य जिला परिषद कुल्लू	उपायुक्त कुल्लू	प्रस्ताव संख्याः–03/ दिनांक 15 जून, 2017 **दशहरा कमेटी में सदस्य के चयन के मापदंड तथा कमेटी द्वारा खर्च एवं एकत्रित राशि की अंकेक्षण/ऑडिट रिर्पोट प्रस्तुत करने बारे:–** दशहरा कमेटी में सदस्य चयन करने के क्या मापदंड हैं। क्या इस कमेटी द्वारा खर्च एवं एकत्रित की गई राशि का अंकेक्षण होता है। यदि हॉ तो पिछले चार साल की आडिट रिर्पोट प्रस्तुत की जाए यदि ऑडिट नहीं होता तो उसका क्या कारण है। अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि दशहरा उत्सव समिति के सदस्यों का चयन हिमाचल प्रदेश सरकार अपने स्तर पर करती है क्योंकि राज्य स्तर पर दशहरा उत्सव समिति के अध्यक्ष माननीय मुख्य मन्त्री स्वयं होते हैं। दशहरा उत्सव समिति की आय–व्यय का लेखा परिक्षण प्रति वर्ष किया जाता है। 2013–2016 तक प्रत्येक वर्ष कितनी राशि प्लांट आबंटन से, सरकारी अनुदान द्वारा, पब्लिक दान आदि साधनों द्वारा प्राप्त की गई तथा किन कार्य में राशि खर्च की गई, इसका पूरा ब्यौरा दिया जाए। अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि आय–व्यय का विवरण वर्ष बार माननीय सदस्य को उपलब्ध करवाया गया है।	अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि आय–व्यय का विवरण वर्ष बार माननीय सदस्य को उपलब्ध करवाया गया है।
67	श्री हितेश्वर सिंह, माननीय सदस्य जिला परिषद कुल्लू	वन विभाग /वन विभाग/वन्य प्राणी/ जी0एच0एन0 पी0ए0(नेशनल पार्क शमशी	प्रस्ताव संख्याः– 04/ दिनांक 15 जून, 2017 **बन्दूक लाईसेंस में एन0ओ0सी0 देने में विभाग द्वारा कितना समय लिया जाता है, के सम्बन्ध में:–** 1. बन्दूक लाइसेंस में एन0ओ0सी0 देने में विभाग की क्या प्रकिया है तथा इस में कितने दिन लगते हैं। अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि जैसे ही बन्दूक लाईसेंस के लिए एन0ओ0सी0 देने बारे प्रार्थी का पत्र अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी कुल्लू, जिला कुल्लू से इस कार्यालय में प्राप्त होता है, उसे सम्बन्धित वन परिक्षेत्राधिकारी को आगामी रिर्पोट करने हेतू प्रेषित किया जाता है। व0प0अ0 से सूचना प्राप्त होते ही वास्तविक स्थिति की रिर्पोट जिला दण्डाधिकारी कुल्लू को आगामी कार्यवाही हेतू भेजी जाती है। नैशनल पार्क तथा सैन्चुरी ऐरिया की सीमा से 10 कि0मी0 के बाहर के क्षेत्र के लिए एन0ओ0सी0 प्रदान करने के लिए व0म0अ0 सक्षम है तथा 10 कि0मी0 की परिधि के अन्दर वन्य प्राणी मुख्य संरक्षक सक्षम है। **2.** यदि जंगली जानवर लोगों की फसल खराब कर दें। यदि जंगली जानवरों द्वारा लोगों की फसल खराब करने का मुआवजा देने के लिये अभी तक सरकार से कोई आदेश प्राप्त नहीं है। 3. यदि जंगली जानवर द्वारा मवेशी (गायें आदि) का नुकसान कर दें।	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4641–42 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

			सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जंगली जानवरों द्वारा मवेशी (गायें आदि) का नुकसान करने पर तीन महिने के भीतर मुआवजा राशि प्रदान की जाती है। 4. यदि जंगली जानवर इन्सानों को मार दें। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जंगली जानवरों द्वारा इन्सानों के मारे जाने पर एक लाख पचास हज़ार रूपये की मुआवजा राशि प्रदान की जाती है। 5. यदि तेन्दुआ आदि जानवर गॉव में या गॉव के नजदीक दिखे तो विभाग उसे कैसे काबू करता है । ऐसी स्थिति में उस स्थान की चौकसी बढ़ा दी जाती है। कर्मचारी लोगों के साथ मिलकर, जानवरों को ड्रम इत्यादि बजाकर डराने–भगाने की कोशिश करते हैं। फिर भी अगर जंगली जानवर आता रहे तो पिंजरा लगाकर पकड़कर उसे जंगल में छोड़ दिया जाता है। आदमखोर होने की स्थिति में, उसे पहले प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन्य प्राणी) हि0प्र0 शिमला द्वारा आदमखोर घोषित करने पर मारा भी जा सकता है। इस संबंध में तीनों विभाग अपना – 2 जबाव माननीय सदन को प्रस्तुत करें।	
68	**श्री हितेश्वर सिंह, मान्नीय सदस्य जिला परिषद कुल्लू**	**मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश/ मुख्य चिकित्सा अधिकारी**	**प्रस्ताव संख्या:– 05/ दिनांक 15 जून, 2017** **<u>अपंगता प्रमाण पत्र में अपगंता प्रतिशत किस आधार पर निर्धारित की जाती है तथा जिला कुल्लू में समस्त वर्गों के अस्पतालों का ब्यौरा कि ये कितने अस्पताल, कब खोले गए, कब उन्नत हुए:–</u>** इस संबंध में सदन ने निर्णय लिया कि प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से अनुरोध किया जाए कि एक आंख खराब होने पर 40 प्रतिशत तक का अपंगता प्रमाण पत्र जारी किया जाए।	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4643–44 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
69	**श्री हितेश्वर सिंह, मान्नीय सदस्य जिला परिषद कुल्लू**	**उपायुक्त कुल्लू/ पुलिस अधिक्षक कुल्लू**	**प्रस्ताव संख्या:–06/ दिनांक 15 जून, 2017** **<u>नारकोटिक एक्ट के सम्बन्ध में विस्तार से अवगत करवाऍ:–</u>**	पुलिस अधिक्षक महोदय द्वारा अवगत करवाया गया कि नारकोटिकस एक्ट का पूरा नाम मादक पदार्थ एवं मन पर प्रभाव डालने वाले द्रव्य अधिनियम न0 61, 1985 है। संक्षेप में इस अधिनियम के अन्तर्गत जो कोई व्यक्ति अफीम, भांग की खेती या उत्पादन या इस का क्रय/विक्रय करता है या एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाना व ले आना या कोई अन्य पदार्थ/द्रब्य/नशीली दवाईयां इत्यादि के क्रय व विक्रय आदि का कार्य करता है तो ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डित किया जाता है। इस कारोबार को रोकने के लिए पुलिस विभाग के पास कोई धन उपलब्ध नहीं होता है। इस जिला में लोगों को नशे की खेती न करने तथा नशे के द्वारा होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में लोगों व खासकर बच्चों को इस वर्ष 26 जून को एण्टी ड्रग डे के दिन रैलियों व पोस्टरा, बैनरों इत्यादि के द्वारा लोगों को जागरूक किया जाता है। इसके अतिरिक्त समय–समय पर सामुदायिक योजनाओं के माध्यम से भी

				लोगों को नशे के दुष्परणामें के प्रति जागरूक किया जाता है तथा लोगों को वैकल्पिक व्यवसाय की व्यवस्था प्रदान करने का मामला इस विभाग से सम्बन्धित नहीं है।
70	श्रीमती मंजरी नेगी, मान्नीय सदस्या जिला परिषद	अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत विभाग कुल्लू	**प्रस्ताव संख्याः–07/ दिनांक 15 जून, 2017** **<u>भेखली, सारी, वस्तोरी में विद्युत सम्बन्धित समस्या का समाधान करने बारेः–</u>** सदन में निर्णय लिया गया कि अधिकारी स्थान का मौका करें तथा मान्नीय सदस्य को भी बुलाऐं।	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4636 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
71	श्रीमती ममता ठाकुर, मान्नीय सदस्या जिला परिषद कुल्लू	अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग निरमण्ड	**प्रस्ताव संख्याः– 08/ दिनांक 15 जून, 2017** **<u>ग्राम पंचायत कुठेड़ की गरसाई सेवनकोटी सड़क की टायरिंग व सोलिंग करवाने बारेः–</u>** मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अधिकारी को निर्देश दिए गए कि वे इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही कर अवगत करवाऐं।	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4746 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
72	श्रीमती पप्पी विष्ठ, मान्नीय सदस्या जिला परिषद	अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग निरमण्ड	**प्रस्ताव संख्याः– 09/ दिनांक 15 जून, 2017** **<u>बशाड़ से कतमोर रोड़ के सम्बन्ध में जानकारी देने बारेः–</u>** मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अधिकारी को निर्देश दिए गए कि वे इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही कर अवगत करवाऐं।	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4746 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
73	श्रीमती पप्पी विष्ठ, मान्नीय सदस्या जिला परिषद	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य विभाग आनी	**प्रस्ताव संख्याः– 10/ दिनांक 15 जून, 2017** **<u>उठाऊ पेयजल योजना ग्राम पंचायत लोट, दुराह, शिल्ली, नित्थर, देहरा, पलेई को सुचारू रूप से चलाने बारेः–</u>** अधिकारी द्वारा मान्नीय सदस्या को आश्वासन दिलाया गया कि 1 महीने में 70 प्रतिशत क्षेत्र को पानी उपलब्ध करवाया जाएगा।	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4748 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
74	श्रीमती शशि कटोच, मान्नीय सदस्या जिला परिषद	जिला पर्यटन अधिकारी, कुल्लू	**प्रस्ताव संख्याः– 11/ दिनांक 15 जून, 2017** **<u>इन्फ्रास्ट्रक्चर में हम कौन–कौन से काम कर सकते हैं तथा क्या निरमण्ड ब्लॉक को विकसित करने के लिए आपके पास कौन सा प्लान है, के बारे अवगत करवाएः–</u>** मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अधिकारी को निर्देश दिए गए कि वे इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही कर अवगत करवाऐं।	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4742 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
75	श्री चन्द्र किरण, मान्नीय सदस्य जिला परिषद	अधिशाषी अभियन्ता,लोक निर्माण विभाग–2	**प्रस्ताव संख्याः– 13/ दिनांक 15 जून, 2017** **<u>मुरम्मत /निर्माण अलेउ पुल बारेः–</u>** अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि इस पुल की समय–समय पर मुरम्मत की जाती है तथा पुल पर ट्रैफिक समस्या के समाधान	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4741 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

			हेतू 300 मीटर वाईपास सड़क का निर्माण प्रस्तावित है। निजी भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है तथा वन भूमि का मामला तैयार करके ऑन लाईन कर दिया गया है। स्वीकृति उपरान्त ही कार्य सम्भव है।	
76	श्री चन्द्र किरण, मान्नीय सदस्य जिला परिषद	वन मण्डल अधिकारी कुल्लू	**प्रस्ताव संख्याः– 14/ दिनांक 15 जून, 2017** **<u>गैर कानूनी तरीके से पेड़ों को काटने बारेः–</u>** जगतसुख एवं अलेउ पंचायत तथा अन्य पंचायत में गैर कानूनी तरीके से पेड़ों को काटा जा रहा कारण को विस्तार से अवगत करवाएँ। इस सम्बन्ध में अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि मनाली वन परिक्षेत्र के अधीन अलेउ, प्रिणी व जगसुख वीट में पिछले एक वर्ष से अवैध कटान का कोई भी मामला ध्यान में नहीं आया है।	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4735 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
77	श्री लोकेन्द्र कुमार, मान्नीय सदस्य जिला परिषद	परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण अभिकरण कुल्लू	**प्रस्ताव संख्याः– 15/ दिनांक 15 जून, 2017** **<u>आनी, निमण्ड तथा नित्थर में मनरेगा के स्थिति के सम्बन्ध में अवगत करवाएँः–</u>**	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4734 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
78	श्री लोकेन्द्र कुमार, मान्नीय सदस्य जिला परिषद	अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग निमरण्ड	**प्रस्ताव संख्याः– 16/ दिनांक 15 जून, 2017** **<u>एन0एच0 लूहरी, जलोड़ी जोत के पास से बन्जार की ओर जो ड्रेन बन रही है क्या व सही है तथा जलोड़ी से लूहरी के कार्य को शीघ्रता से पूर्ण करने बारेः–</u>**	अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि एन0एच0लूहरी जलोड़ी जोत के पास से बन्जार की ओर ड्रेन बन रही है वो सड़क एवं परिवहन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बनाए गए मानकों के अनुसार बनाई जा रही है और सही बन रही है ठेकेदार द्वारा 10 कि0मी0 कार्यों की प्रगति देने के लिए कहा गया है। ठेकेदार ने इस कार्यों को करने के लिए 30.11.2017 तक का और समय मांगा है, और जलोडी से लूहरी के कार्य का पूर्ण ब्यौरा अधिशाषी अभियन्ता, रा0उ0मा0 मण्डल हि0प्र0लो0नि0वि0 रामपुरबुशहर से सम्बन्धित है।
79	श्रीमती धनेश्वरी ठाकुर, मान्नीय सदस्या जिला परिषद कुल्लू	परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान जरड़	**प्रस्ताव संख्याः– 17/दिनांक 15 जून, 2017** **<u>मनाली में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से कितने स्कूलों पर कितनी राशि व्यय की गई तथा कितनी खर्च की जानी है तथा क्या सर्व शिक्षा अभियान के मध्यम से भी धन खर्च होता है या नहींः–</u>** सदन में निर्णय लिया गया कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शनाग–गोशाल स्थित वॉहग को धन उपलब्ध करवाया जाए ताकि कार्य को पूर्ण किया जा सके।	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4736 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

80	श्रीमती धनेश्वरी ठाकुर, मान्नीय सदस्या जिला परिषद कुल्लू	अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग–मण्डल–2	**प्रस्ताव संख्याः– 18/दिनांक 15 जून, 2017** **<u>प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत आने वाली सड़कों का निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ करने बारेः–</u>** अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि वुरूआ, मझाच, जगतसुख, भनारा, नगर, रूमसू, पिछलीहार, काथीकुकड़ी, फोजल धारा रूंगा, पनंगा, शेगली, कशेरी, जिन्दौड़ ब्यासर की निविदाएँ 14.6.2017 को खोली जाएगी तथा सोलंग और सोयल तदंला की निविदाएँ 21.6.2017 को खोली जाएगी। मनाली में कटराईं उपमण्डल के तहत आने वाली शिला तराशी काईन बन्दल सड़क की फाईल 25 अप्रैल, 2017 को दोबारा से उच्च कार्यालय को प्रेषित की गई है।	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4747 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
81	श्रीमती धनेश्वरी ठाकुर, मान्नीय सदस्या जिला परिषद कुल्लू	जिला पर्यटन अधिकारी कुल्लू	**प्रस्ताव संख्याः–19/दिनांक 15 जून, 2017** **<u>सफाई कर्मचारियों के नियन्त्रण बारे तथा विभाग की आय बारे तथा ग्रीन टैक्स अदा करने बाले पर्यटकों को पार्किंग की क्या सुविधा है बारे अबगत करवाएँः–</u>** अतिरिक्त उपायुक्त महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया कि वे इस सम्बन्ध में विभाग को निर्देश देगें।	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4742 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
82	श्रीमती धनेश्वरी ठाकुर, मान्नीय सदस्या जिला परिषद कुल्लू	उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा कुल्लू	**प्रस्ताव संख्याः– 20/दिनांक 15 जून, 2017** **<u>प्रारम्भिक पाठशाला पारशा का निर्माण कार्य आरम्भ करने बारेः–</u>** मान्नीय सदस्या द्वारा अवगत करवाया गया कि प्राथमिक पाठशाला पारशा के लिए वर्ष 2012 में मान्नीय विधायक, श्री गोविन्द ठाकुर जी द्वारा भवन निर्माण हेतू मु0 6 लाख/– स्वीकृत करवाए गए थे। आज दिनांक तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ और न ही आरम्भ हुआ इस सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक जानकारी से अवगत करवाया जाए।	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4740 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
83	श्री टेक चन्द, मान्नीय सदस्य जिला परिषद	सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य विभाग शमशी	**प्रस्ताव संख्याः– 21/दिनांक 15 जून, 2017** **<u>बराधा, शांगचन में पानी की योजना का कार्य आरम्भ करने बारेः–</u>** बराधा, शॉगचन पानी की योजना के बारे में विभाग विस्तृत जानकारी प्रदान करें। यह योजना कब शुरू हुई है ? यह योजना कब आरम्भ हुई और इस योजना को कब तक सुचारू रूप से चलाया जाएगा। अधिकारी द्वारा आश्वासन दिलाया गया कि उपरोक्त कार्य को शीघ्र ही पूरा कर दिया जाएगा	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4738 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

84	श्री सुरेन्द्र शौरी, माननीय सदस्य जिला परिषद	उप मण्डल अधिकारी (ना0) बन्जार	प्रस्ताव संख्याः– 22/दिनांक 15 जून, 2017 **<u>विकास खण्ड बन्जार में पार्किंग और टैक्सी स्टैंड एवं स्ट्रांग रूम का निर्माण बारेः–</u>** उप मण्डल अधिकारी (ना0) बन्जार को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि वे शीघ्र इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर अवगत करवाएँ।	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4737 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
85	श्रीमती प्रेमलता ठाकुर, माननीय सदस्या जिला परिषद	अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग प्रथम / अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वितीय	प्रस्ताव संख्याः– 23/दिनांक 15 जून, 2017 **<u>विकास खण्ड बन्जार में पार्किंग और टैक्सी स्टैंड एवं स्ट्रांग रूम का निर्माण बारेः–</u>** 1. निर्माण सड़क दोहरानाला से लिंघर वन्सू पंचायत खड़ीहार। 2. निर्माण सड़क पादनाला से जनाहल पंचायत शिलीराजगिरी। 3. निर्माण सड़क पादनाला से चेष्ठा पंचायत शिलीराजगिरी। 4. निर्माण सड़क कुल्लू से चकनानी कोठी महाराजा पंचायत पीज। 5. निर्माण सड़क कुल्लू से बुआई पंचायत बुआई। 6. निर्माण सड़क सतरीम भूमतीर रोड़ से जठाणी पंचायत भलियाणी। 7. निर्माण सड़क रूज़ग से बड़ी नेरी पंचायत चौपाड़सा। 8. निर्माण सड़क कालंग से तिऊन समालंग पंचायत मानगढ़। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे शीघ्र इस सम्बन्ध में आगामी कार्यवाही करें।	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 तथा स्मरण पत्र संख्या 4664–65 दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
86	समस्त पदाधिकारीगण	कार्यालय जिला परिषद कुल्लू	प्रस्ताव संख्याः– 24/दिनांक 15 जून, 2017 **<u>पंचायत भवन कुल्लू, सरवरी एवं मनाली बारेः–</u>**	कार्यालय से सम्बन्धित हैं।
87	समस्त पदाधिकारीगण	निदेशक, पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला	प्रस्ताव संख्याः– 25/दिनांक 15 जून, 2017 **<u>राज्य वित आयोग के अन्तर्गत पारित की जाने वाली योजनाएँ की मांगः–</u>** राज्य वित आयोग हेतू सदन द्वारा निम्न योजनाओं की मांग को पारित किया गयाः– 1. महिला मण्डल भवन, युवक मण्डल भवन, रैन शैल्टर, सौलर लाईट, जीपयोग्य रोड़, पेयजल योजना, छोटी पुलियॉं, साऊंड सिस्टम, फर्नीचर, रास्ते, रैलिंग–रास्ता तथा फैसिंग–रास्ता इत्यादि। अतः निदेशक महोदय से अनुरोध है कि उपरोक्त योनजाओं को राज्य वित आयोग के दिशा–निर्देशों में शामिल किया जाए।	इस कार्यालय की कार्यवाही की पत्र संख्या 3766–3872 दिनांक 28.06.2017 द्वारा सूचित किया जा चुका है। लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

88	समस्त पदाधिकारीगण	केन्द्रिय परिवहन मन्त्री, भारत सरकार, नई, दिल्ली	**प्रस्ताव संख्या:– 25/दिनांक 15 जून, 2017** **<u>मनीकर्ण, सड़क का टूलेन सड़क में निर्माण करवाने बारेः–</u>** सदन में मान्नीय सदस्य श्री हितेश्वर सिंह द्वारा अवगत करवाया गया कि मनीकर्ण सड़क को टूलेन सड़क में निर्माण करवाया जाएगा तथा इस कार्य हेतू केन्द्रिय परिवहन मन्त्री, भारत सरकार का समस्त जिला परिषद सदन द्वारा धन्यवाद किया गया।	मान्नीय सदस्य को प्रस्ताव को समाप्त करने हेतू प्रस्तुत है।
दिनांक 29 अगस्त, 2017 की जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक में पूछे जाने वाले प्रश्नः–				
89	श्री हितेश्वर सिंह, मान्नीय सदस्य जिला परिषद	उपायुक्त कार्यालय/ ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क शमशी	**प्रश्न संख्या:– 01/दिनांक 29 अगस्त, 2017** **क)** यह पार्क कब आस्तिव में आया। इसकी विस्तृत जानकारी दें तथा अवगत करवाएॅ कि प्रभावित लोगों के कलेम कैसे सैटल किए। इसका पूर्ण विवरण दें। क्या सैंज वैली के सभी प्रभावित गॉवों में रहने वाले लोगों के कलेम सैटल हुए यदि नहीं तो किन कारणों से सैटल नहीं हुए हैं। कलेम देने के लिए क्या पैमाना निर्धारित किया गया था। सैंज वैली में कितनी ग्राम पंचायतें व गॉव हैं व ये कब आस्तित्व में आए। कोर जोन में कौन–2 सी ग्राम पंचायतें व गॉव आते हैं तथा ईको जोन में कौन–2 सी ग्राम पंचायतें व गॉव आते हैं। ईको जोन क्या है तथा यह कब बना और इसमें कौन–कौन सी ग्राम पंचायतें व गॉव आते हैं। इसका पूर्ण विवरण दें। यह वर्ल्ड हैरिटेज कब बना तथा किन शर्तों पर इसे वर्ल्ड हैरिटेज बनाया गया और इससे क्षेत्र को क्या–2 लाभ हुए। मैनेजमेंट प्लान क्या है तथा आज तक कितने मैनेजमेंट प्लान बनाए गए तथा उन पर क्या –2 अमल किया गया है। **ख)** आज दिन तक वर्ष बार आय–व्यय का शीर्ष बार पूर्ण विवरण दें तथा बजट का साधन क्या है। प्रभावित क्षेत्र क्या है तथा इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आय बढ़ाने के लिए विभाग ने क्या कदम उठाए हैं।	इस कार्यालय के पत्र संख्या 4598 दिनांक 11.08.2017 के अन्तर्गत सूचित किया गया है।
90	श्री हितेश्वर सिंह, मान्नीय सदस्य जिला परिषद	समस्त खण्ड विकास अधिकारी जिला कुल्लू	**प्रश्न संख्या:– 02/दिनांक 29 अगस्त, 2017** **क)** खण्ड विकास अधिकारी यह अवगत करवाएॅ कि विकासात्मक कार्यों के लिए किन–किन शीर्ष के अंतर्गत धनराशि स्वीकृत होती है। इस बात को किस तरह सुनिश्चित किया जाता है कि क्या एक ही कार्य के लिए अलग–2 शीर्ष से धनराशि स्वीकृत तो नहीं हो रही है और क्या बार–2 स्वीकृत राशि को एक ही निष्पादित किए गए कार्य पर पुनः खर्च तो नहीं किया जा रहा है। यह भी देखने में आया है कि कुछ कार्यों के लिए स्वीकृत राशि विकास खण्ड कार्यालय या ग्राम पंचायत कार्यालय में व्यय हेतू लम्बित पड़ी रहती है और क्या विकास खण्ड में कार्यों के निष्पादन हेतू प्राथमिकता निर्धारित की होती है। इसके अतिरिक्त यह भी	खण्ड विकास अधिकारी, आनी द्वारा अवगत करवाया गया कि विकास कार्यों हेतु विभिन्न मदों से राशी स्वीकृत की जाती है जैसे कि BASP.SDP.VKVNY,VMJS,MPLAD,SDRF यदि कार्य अपूर्ण हो तो उस कार्य को पूर्ण करने के लिए किसी और मद से राशी स्वीकृत होती है, तो ही उस कार्य पर खर्च की जाती है तथा इस बात का खण्ड विकास कार्यालय द्वारा पूर्ण ध्यान रखा जाता है कि एक ही कार्य पर बार–बार राशी खर्च ना हो। विकास खण्ड कार्यालय में स्वीकृत कार्य की राशी कोई भी लम्बित नहीं पड़ी है तथा विकास खण्ड द्वारा कार्य निष्पादन की प्राथमिकता निर्धारित नहीं की जाती है। कार्य की गुणवता

			अवगत करवाएँ कि जो कार्य किए जा रहे हैं उनकी गुणवता का क्या पैमाना है तथा इन कार्यों की गुणवता कितनी वर्षों तक रहती है। **ख)** मनरेगा के अंतर्गत किए जा रहे विकासात्मक कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण करने के लिए कौन अधिकृत है तथा इसका अध्यक्ष कौन होता है। यह भी अवगत करवाएँ कि आज तक जिला कुल्लू में कितनी ग्राम पंचायतों का सामाजिक अंकेक्षण किया गया है तथा किस वितीय वर्ष तक का किया गया है।	बनाये रखने के लिये कार्यों का निष्पादन स्वीकृत राशी के आधार पर किया जाता है, तथा अलग–अलग जगह की भौगोलिक स्थिति के आधार पर कार्य की गुणवता बनी रहती है। मनरेगा का सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा बैठक में अंकेक्षण समिति के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अंकेक्षण समिति का अध्यक्ष इन सदस्यों द्वारा अपने में से किसी एक को चुना जाता है। विकास खण्ड आनी की समस्त ग्राम पंचायतों का अंकेक्षण सामाजिक अंकेक्षण समिति द्वारा समय–समय पर किया जा रहा है।
91	**श्री लोकेन्द्र कुमार, मान्नीय सदस्य जिला परिषद**	**वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल आनी,**	**प्रश्न संख्याः– 03/दिनांक 29 अगस्त, 2017** क) मिड हिमालयन प्रोजेक्ट के अन्तर्गत कितनी पंचायतों को लाभ पहुँचाया गया, उन पंचायतों का लिखित में ब्यौरा प्रस्तुत करें। ख) जिन पंचायतों को शामिल किया गया, उन पंचायतों में क्या–क्या कार्य हुए कितनी धनराशी खर्च की गई क्या ब्यौरा प्रस्तुत करें।	इस कार्यालय के पत्र संख्या 4937 दिनांक 16.08.2017 के अन्तर्गत सूचित किया गया है।
92	**श्री लोकेन्द्र कुमार, मान्नीय सदस्य जिला परिषद**	**कृषि उत्पाद मण्डी समिति कुल्लू**	**प्रश्न संख्याः– 04/दिनांक 29 अगस्त, 2017** आनी के अन्दर पिछली साल 2016 में जो सब्जी मण्डी खोली गई थी उसका समस्त ब्यौरा लिखित में दिया जाए। क्या वो मण्डी मात्र सेब के व्यापार के लिए खोली गई थी के बारे अवगत करवाए। ख यदि सब्जी मण्डी को खोलने की घोषणा हुई थी तो इस वर्ष बाज़ार क्यों नहीं लगा आम किसानों को देखते हुए विभाग इसकी जानकारी दे।	अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रबन्ध निदेशक हि0प0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड शिमला के पत्र संख्या एच0एम0वी0–4–132/92–4011 दिनांक 29.07.2015 के अन्तर्गत फल/सब्जी सीजन के दौरान आनी में अस्थाई सब्जी मण्डी चलाने की स्वीकृति की गई थी। पिछले वर्ष वहाॅं की स्थानीय जनता द्वारा फल व सब्जी का कारोबार सीजन के दौरान किया गया थ। आनी में सब्जी मण्डी की स्थापना हेतू वन विभाग की 0.7888 हेक्टेयर भूमि का एफ0सी0ए0 केस एक्ट 1980 के अन्तर्गत दिनांक 08.05.2017 ऑनलाइन जमा किया जा चुका है तथा इसके सम्बन्धित कागज़ात इस कार्यालय के पत्र संख्या एफ0पी0/एच0पी0/अदर/21078/2016–2011 दिनांक 08.05.2017 को वन मण्डलाधिकारी आनी स्थित लूहरी फारेस्ट डिवीजन को प्रेषित किए जा चुके है। एफ0सी0ए0 औपचारिकताओं के पूर्ण होने उपरान्त उपरोक्त मण्डी में नीलामी मंच तथा दुकानों का कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
93	**श्री शशि कटोच, मान्नीय सदस्य जिला परिषद कुल्लू**	**महाप्रबन्धक, सतलुज जल विद्युत परियोजना एस0जे0वी0एन0 एल0**	**प्रस्ताव संख्याः– 5/दिनांक 29.08.2017** उपायुक्त के माध्यम से महाप्रबन्धक यह अवगत करवाएँ कि रामपुर जल विद्यत परियोजना ने अपने (ई0एम0पी0) environment Management Plan में लिखा है कि हम ब्रौ और जगातखाना को सिवरेज में जोड़गें तथा प्रोजेक्ट पूर्ण हुए तीन वर्ष हो चुके है लेकिन ब्रौ और जगातखाना की जनता अभी भी उम्मीद है कि कभी तो सीव्रेज की व्यवस्था होगी। इसके अतिरिक्त इस प्लान में यह भी लिखा है कि अगर प्रोजेक्ट शुरू होते समय या बाद में पानी के सोर्स सुखते हैं तो आप पानी की व्यवस्था करेगें।	इस कार्यालय के पत्र संख्या दिनांक के द्वारा अवगत करवाया गया है।

			क्या कारण रहे कि आपने जो अपने ई0एम0पी0 में लिखा था उसका आप द्वारा अनुसरण नहीं किया गया।	
94	श्री शशि कटोच, मान्नीय सदस्य जिला परिषद कुल्लू	जिला प्रशासन कुल्लू	**प्रस्ताव संख्याः– 06/दिनांक 29.08.2017** गत 5 अगस्त 2017 को मध्यरात्री में ग्राम पंचायत सरघा 15/20 ब्लॉक निरमण्ड में बादल फटने से गॉव थड़ेधार पुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है जिसमें एक मकान के धसने से दो बच्चों की मल्वे में दबकर मौके पर ही मौत हो गई थी। गॉवों की जमीन पूरी तरह से धन चुकी है जिससे सभी घरों को खतरा बना हुआ है। प्रभावित परिवारों के पास क्षतिग्रस्त जमीन व घरों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है व उनकी आर्थिक स्थिति काफी दयनीय है। इस गॉव के अतिरिक्त घनी कटेर एंव पंचायत के कुछ अन्य स्थानों पर भी इसकी तरह की स्थिति बनी हुई है। प्रभावित परिवारों की दयनीय स्थिति को देखते हुए महोदय से जानना चाहूँती हूँ कि जिनके घर सुरक्षित नहीं है क्या उन्हें अन्य सुरक्षित सरकारी जगह पर भूमि देकर वसाया जा सकता है।	इस कार्यालय के पत्र संख्या दिनांक के द्वारा अवगत करवाया गया है।
95	श्रीमती पपी विष्ठ, मान्नीय सदस्य जिला परिषद	अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग निरमण्ड	**प्रश्न न0 :– 07/दिनांक 29 अगस्त, 2017** कण्डा कतमोर रोड़ में बरसात के कारण डंगे गिरे हुए हैं। जिससे रोड़ की हालत दयनीय हो गई है। सेब का सीजन चला हुआ है। लोगों को अनेक परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। रोड़ को सुधारने एवं डंगे लगाने बारे भी शीघ्र किया जाए। बजीरबावडी से निरमण्ड मेन रोड़ कब तक बहाल होगा। दो महीने का समय दिया था। छः महीने हो गए हैं। अभी तक यह रोड़ खुला नहीं। जनता को भारी पेरशानी का सामना कर पड़ रहा है।	इस कार्यालय के पत्र संख्या दिनांक के द्वारा अवगत करवाया गया है।
96	श्रीमती पपी विष्ठ, मान्नीय सदस्य जिला परिषद	उप –निदेशक उद्यान विभाग कुल्लू	**प्रश्न न0ः– 08/दिनांक 29 अगस्त, 2017** राहणू पंचायत के उद्यान विभाग की हालत को बेहतर बनाने हेतू विभाग द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में अवगत करवाया जाए।	इस कार्यालय के पत्र संख्या दिनांक के द्वारा अवगत करवाया गया है।
97	श्रीमती ममता ठाकुर, मान्नीय सदस्य जिला परिषद	अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग निरमण्ड	**प्रश्न न0ः– 09/दिनांक 29 अगस्त, 2017** विकास खण्ड आनी की ग्राम पंचायत शिल्ही के सड़क भोजपाणी से लामीडूंगरी निर्माण हेतू एफ0सी0ए0 के अन्तर्गत Forest Land Divertion for construction of Project के लिए भेजा गया था या नहीं, जबकि जनता द्वारा सभी कागजात जमा कर दिए गए हैं।	इस कार्यालय के पत्र संख्या दिनांक के द्वारा अवगत करवाया गया है।

98	**श्रीमती ममता ठाकुर, मान्नीय सदस्य जिला परिषद**	**अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य विभाग आनी**	**प्रश्न न0ः– 10/दिनांक 29 अगस्त, 2017** बैहना पंचायत की शेगूबाग–बैहना उठाउ पेयजल योजना का क्या स्टेटस है। क्या विभाग की प्राथमिकता में इसे स्वीकृत करने हेतू शामिल किया गया है।	इस कार्यालय के पत्र संख्या दिनांक के द्वारा अवगत करवाया गया है।

सचिव,
जिला परिषद कुल्लू,
जिला कुल्लू, हि0प्र0।

पृष्ठांकन संख्याः– जिला परिषद त्रै0बैठक /कार्यसूचि/समस्त वि0..
प्रतिलिपिः–

दिनांक अगस्त, 2017

समस्त सम्बन्धित विभागाध्यक्ष को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

सचिव,
जिला परिषद कुल्लू,
जिला कुल्लू, हि0प्र0।